

Balmer Lawrie & Co. Ltd.

Greases & Lubricants

P-43, Hide Road Extn. Kolkata – 700 088

“The tendered item(s) is/are not available in GeM. Balmer Lawrie & Co. Ltd. have no objection in providing detailed information for making available the said item(s) on GeM.”

Tender No. : GLK/TE20/088, dated 02.09.2020

Due On : 22.09.2020 at 3:00 P.M. [IST]

Sub: Tender for Outbound transportation (FTL) of various greases, lubricants and related products packed in barrels, cartons or any other standard packing from Greases and Lubricants Division, Kolkata to various destinations in India

1.0 INTRODUCTION

1.1 The SBU: Grease & Lubricants, Kolkata of Balmer Lawrie & Co. Ltd. (BL) invite online bids from transporters of repute and meeting pre-qualification criteria as stated later for Outbound Transportation of various greases & lubricants and related products packed in Barrels, Cartons or any other standard packing from Greases & Lubricants Division (G&L), Kolkata to various destinations in India. [Refer attached ANNEXURES - I & II]. **The loads mentioned are best estimates and are not binding.**

1.2 The terms "BL", "Balmer Lawrie" and "Company", in the appropriate context means Balmer Lawrie & Co. Ltd. incorporated under the Companies Act, 1913 and having its registered office at 21, N S Road, Kolkata - 700 001.

1.3 Interested bidders may obtain the tender document by downloading the same from the Company's website [www.balmerlawrie.com].

2.0 CONTRACT PERIOD

2.1 Contract will be effected for **18 calendar months** from the date of LOI/PO.

2.2 The contract can be extended on mutual agreement for another period of six months maximum upon the consent of both the parties in writing.

3.0 PRE-QUALIFICATION / ELIGIBILITY CRITERIA

3.1 Bidder must fulfil the following eligibility criteria:

3.1.1 The bidder shall have ownership of a minimum of **15 (fifteen) trucks each of 7.5 MT** or more baseload for participating in the Category of 7.5 MT markets. (Copies of registration certificates in the name of the transporter/ owner of the transporter/ any partner of the transporter to be attached as an evidence).

3.1.2 The bidder shall have ownership of a minimum of **15 (fifteen) trucks each of 15 MT** or more baseload for participating in the Category of 15/16 MT markets. (Copies of registration certificates in the name of the transporter/ owner of the transporter/ any partner of the transporter to be attached as an evidence).

3.1.3 The bidder shall have ownership of a **minimum of 15 (fifteen) trucks each of 7.5 MT** baseload or more as well as a **minimum of 15 (fifteen) trucks each of 15 MT** baseload or more for participating in both the category markets. (Copies of registration certificates in the name of the transporter/ owner of the transporter/ any partner of the transporter to be attached as an evidence).

3.1.4 All the trucks **must not be older than 10 years**. In the case of the same, those trucks would not be counted.

3.1.5 The bidder shall have a **minimum of 3 (three) years' experience within last 5 financial years** in the transportation of petroleum products/lubricants & greases with Govt. departments / PSUs / Private companies of repute [copy(ies) of certificates / formal agreement / POs in support of experience to be submitted].

3.1.6 **Minimum annual turnover of Rs. 20 (twenty) crores** in any of the three financial years within last 5 financial years. Documentary evidence such as balance sheets & PL A/c certified by practicing Chartered accountant is required are to be furnished.

3.1.7 Bidders shall have executed at least one **single order value of a minimum of Rs. 1 crore** in any one of the last three financial years. [Copy (ies) to be furnished as evidence of such].

3.1.8 The bidder company shall be in a position and agreed to issue consignment Note "ON CARRIER'S RISK". In case of shortage or damage, an unconditional & unqualified short certificate to be issued. [Declaration on the letterhead duly signed and stamped for the same to be submitted].

- 3.1.9 Bidders shall have Office in Kolkata or within 50 Kms from Kolkata Municipal Corporation outer limit, equipped with telephone and e-mail facilities for correspondence and / or tracking the consignments at any point of time.
- 3.1.10 Public Carrier Vehicle Operators (PCVOs)/Trucks blacklisted by any of the Govt. Companies/PSU/Govt. Departments are not eligible to participate in the tender. If the transporter/bidder has not disclosed it at the time of commercial bid and it is transpired subsequently that the transporter has concealed the facts, the transporter/bidder will be liable for termination of the contract with immediate effect and the EMD/Security Deposit will also be forfeited. BL will also have an authority to take appropriate legal action against such transporter
- 3.1.11 Only Indian Bank Association (IBA) approved transporters are eligible to apply. **Copy of valid IBA certificate** shall be furnished.
- 3.1.12 BL reserves all rights to reject the bid at any time without further reference.

4.0 EARNEST MONEY DEPOSIT (EMD) & SECURITY DEPOSIT (SD)

- 4.1 The bidder shall submit interest free **EMD of Rs 5,00,000 (Five lakhs only)**. The EMD amount shall be paid by Online Bank transfer/ Pay Order/ Demand Draft drawn in favour of “Balmer Lawrie & Company Limited” payable at Kolkata and shall be submitted with the pre-qualification bid. The EMD shall be refunded to the unsuccessful bidders immediately after finalization of the tender. The EMD of successful bidder(s) shall be retained till the submission of Security Deposit.

Bidders who had free EMD/ SD lying with Balmer Lawrie & Co. Ltd. may request in writing to consider the same as EMD against the tender subject to verification by Balmer Lawrie & Co Ltd., the amount lying should be sufficient in terms of EMD amount required for this tender.

The successful transporter(s) shall submit SD of 5% of the order value rounded off to the nearest thousand by a demand draft or Bank Guarantee (Format of Bank Guarantee for SD attached as Annexure-V) subject to the minimum of Rs.5,00,000 (Five Lakhs Only) the satisfactory execution of the order. The SD shall be furnished within 15 days from the date of order. In case of failure to furnish SD within the stipulated time BL shall be entitled to terminate the order and forfeit the EMD without further reference to the bidder.

Bidders having payment outstanding from the Company against services rendered may opt to furnish SD by pledging such outstanding amount towards the SD. Outstanding amount shall include all payment outstanding whether due or not. Submission of SD under this clause shall be subject to acceptance of proposal by the Company at its sole discretion.

5.0 PARTICIPATION IN TENDER

5.1 Interested bidders are requested to apply for the bid through e-Procurement system only. For this, they need to have suitable Digital Signature and a User Login and Password. The supporting/ following documents may be uploaded in the system or may be sent in sealed envelopes super scribing tender No. and due date of the tender or both to initiate their tender participation process:

- a) Un-Price Bid: - Tender document (i.e. this document), either in sealed envelope or to be uploaded in e-proc duly signed & stamped on each page as a token of acceptance of the terms & conditions of this 'Tender' in TOTO.
- b) All other necessary documents enlisted in Annexure - III supporting/ confirming the fulfilment of Pre-Qualification criteria by the transporter.
- c) Demand Draft/Pay Order/ Online Bank Transfer (NEFT/ RTGS/ IMPS etc.) as stated earlier in this tender document to be sent in a sealed envelope and its scanned copy to be uploaded on the website.

5.2 The participants must quote online on e-proc (Category wise Market wise Total value excl: GST). In case the participant does not quote for any of the markets, put '0' for the same market on e-proc. The participants will also upload the Price Bid (Part – II) online. The prices quoted shall be valid for 120 days from the date of tender. The format of Price Bid is enclosed with this tender notice for reference purposes only. Online Price Bids of only those bidders who get technically qualified will be opened/considered.

Price bid to be uploaded through upload provision in the e-proc in the price bid section only and not to be uploaded along with technical bid. Price bid to be filled in as per the format given, scanned and to be uploaded.

It is not necessary that bidders have to quote for all the markets. Bidders may quote for one or more markets. However, rates must be quoted for all the individual destinations in a market, failing which the offer for that particular market shall be rejected. **Bidders may also be asked to submit (subsequently) the same data in a soft copy too.**

5.3 Category wise, Market wise on-line quoted price must be same with the uploaded category wise, market wise price.

6.0 REVERSE AUCTION PROCEDURE

6.1 Bidders successfully meeting the pre-qualification criteria will be informed about date & time of online auction and shall be allotted log-in ID and password to enable them to participate in on-line bidding.

- 6.2 On-line auction will be done on the total market wise amount. Any reduction offered during the on-line auction shall be applicable proportionately to the individual destination rates for the purpose of arriving at the final rates quoted for the destination.
- 6.3 The Start Bid Price (SBP) and Minimum decremental amount shall be communicated on-line at the commencement of the reverse auction.
- 6.4 It will be 'compulsory' for the bidders who have participated in Reverse Auction to accept the order as per their final bid in the reverse auction. If any transporter refuses to accept/execute the order at a rate quoted by them in the reverse auction, his/their EMD will be forfeited and the transporter may be black listed. In such an event, the L-2 bidder (as per reverse auction) will automatically become L-1 and the L-3 bidder will be considered as L-2 and so on. The bidders have to, therefore, be fully prepared to accept the order at the rate quoted by them in reverse auction. No claim for withdrawal of final bid will be entertained nor will BL consider added bid that could not be uploaded by the bidder during reverse auction due to power failure or connectivity issues, after the online reverse auction is frozen.
- 6.5 The general terms & conditions of on-line auction are given in Annexure-IV.

7.0 BASIS OF RATES

The basis of rates will be as under:

- 7.1.1 Rates quoted shall be excluding GST or any other statutory levy applicable at the time of execution of contract but will be inclusive of labour charges for loading goods in vehicle, unloading the same at the destinations and other incidental charges, if any. **Any local levy charged at Kolkata or consignee's premises will also be borne by transporters. Transporters must reckon such levy while quoting the rates.**
- 7.1.2 The rate quoted shall remain firm during the contract period, except for escalation/ de-escalation clause as defined later. No changes in rate will be considered under any circumstances.
- 7.1.3 The rates quoted shall apply for delivery at consignee's factory / godown and also at customer's premises situated in the vicinity of the town /city where factory/godown is located.

- 7.1.4 Rates quoted shall be for open truck / container truck on FTL basis. The minimum guaranteed load is 7.5 MT / 15 MT Capacity trucks as mentioned in Annexure I & II. Extra freight charges on proportionate basis will be paid in case given load is over & above these weights, if applicable.
- 7.1.5 If the transporter has quoted a lower rate for a 'distant location' and higher rate for a relatively closer location which is en-route, BL can ask the transporter to place vehicle for the location which is at a longer distance but may ask to deliver goods at a place which is closer than the location for which vehicle is asked for. For example, if quote for Siliguri is Rs. 12000 and that for Malda is Rs. 13000, BL may ask the transporter to place a vehicle for Siliguri, but will ask material to be delivered at Malda @ Rs. 12,000/ only. **Transporters are, therefore, advised to quote the rates carefully and logically.**
- 7.1.6 In case of short receipt, deduction of material invoiced value at actual will be deducted from the transporter's payables. In addition to that pro-rata deduction with respect to short receipt of material by consignee will be deducted from the invoice of the transporters.
- 7.1.7 Weighment will be done at our premises. Our weighment shall be considered final.
- 7.1.8 Transshipment is strictly prohibited for FTL. Transshipment is strictly prohibited, unless permitted by the company in writing. The company may impose penalty of 15% of Freight amount or Rs.15,000/- (whichever is lower) if and when the vehicle number on LR/Waybill and the vehicle that reaches the destination are different. Nevertheless, the penalty will be waived if the transporter has informed BL in writing about the compelling situation leading to transshipment (like failure of vehicle, accident etc.) and the concerned officer of BL has given a consent for the same in writing.
- 7.1.9 Part loading of other consignee's goods along with BL goods, even if there is space in vehicle, is strictly prohibited. Trucks shall be loaded at Kolkata in certain arrangements. If on reaching BL consignee's premises, it is evident that goods have been handled en-route and/ other material has been subsequently loaded and unloaded/ still present in truck, similar penalty as mentioned in Point no. 7.1.8 shall be imposed.
- 7.1.10 BL will cover transit Insurance.
- 7.1.11 Rates quoted shall be valid for acceptance up to 120 days from the due date of the tender and final rates quoted through reverse auction shall be valid for 60 days from the date of reverse auction.
- 7.1.12 Benchmark Diesel rate of IOCL Kolkata on the date of reverse auction shall be considered as the 1st reference rate for Diesel escalation/ De-escalation calculation.

7.1.13 The company shall not be responsible for the turn-around of trucks at the offloading destinations for any reason whatsoever.

7.1.14 No detention charges for delays due to any reason at BL plant or consignee premises shall be considered/ payable.

8.0 BASIS OF SELECTION

8.1 The basis of selection of transporters and splitting the order for each market shall be as under:

- a) The initial online price bids shall be used for grading the bidders. The bidders will be classified as “Provisional” L1, L2 etc.
- b) Reverse Auction shall be started with starting bid prices as communicated
- c) Based on reverse Auction result the bidders shall be classified in Final L1, L2, L3 etc.

8.2 The final grading shall be done as follows:

- a) If no bid is received in reverse auction, the provisional classification shall be confirmed as final.
- b) In case bid received through reverse auction, final grading of L1, L2, L3 etc to be considered as per the Reverse auction.
- c) If in reverse auction is same as “Provisional” L1, the provisional grading shall be confirmed as final.
- d) If “Final” L1 in reverse auction is a different party from “Provisional” L1, the grading shall be revised whence Reverse Auction L1 will be Final L1, Reverse Auction L2 will be final L2 & so on. [Entire status will be as per Reverse Auction outcome].

8.3 Orders will be divided in following proportions:

- i) 60 % of available total market value shall be placed on L1 bidder.
- ii) 40 % of available total market value shall be placed on L2 bidder subject to matching the L1 price.
- iii) MSE market value will be netted off from the total market value for arriving at order value which is to be split in afore detail 60:40 ratio.

Note: Share of market value as stated above shall be translated in to approximate indicative number of trips in given price schedule.

Note: It may be noted that orders shall be placed on the above manner subject to L2 matching rates with Final L1. If L2 does not match price, offer to match price shall be given to L3 and then to L4 and so on. In case none of the parties are willing to match L1, BL may at its sole discretion place EITHER 100% order on L1 OR Negotiate with L2 the best rate & place proportion of order on them.

9.0 **PROVISIONS FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSE):**

Following benefits would be extended to qualifying MSE vendors as per Public Procurement policy for MSEs subject to meeting the qualification criteria.

- a. Qualifying Registered MSE vendors shall be exempted from need to furnish EMD, subject to submission of their registration details and meeting the qualification criteria.
- b. Preference for Price Quotation in tenders: Qualifying Micro and Small Enterprises quoting price within price band of L1+15%, will qualify to supply a portion of requirement by bringing down price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a Micro and Small Enterprises. Such Micro and Small Enterprises shall be allowed to supply 25 per cent of total tendered quantity for the particular grade(s)/item(s) at the respective plants subject to operational viability as considered appropriate by tendering authority. It may be further noted that if more than one such duly qualified MSE bidder matches non-MSE L1 price, 25% of the tender quantity will be equally split between the L1 matching MSEs. If more than one MSE bidder has quoted in afore-said price band(L1+15%), number of such bidders will be intimated by tenderer to MSE bidders when seeking their acceptance to match L1 bid.”

Qualification Criterion for MSE's for availing the above benefits:

- a. MSE vendor must confirm that UAM No has been uploaded on CPPP website as required by Ministry's circular no F: No21(17) / 2016 dated 06.04.18 for qualifying to be considered as MSE vendor under this tender. Qualifying and Registered MSE vendors shall be exempted from need to furnish EMD, subject to submission of their registration details. Declaration of Udyog Aadhar Memorandum [UAM Number] number on Central Public Procurement Portal [CPPP] is mandatory. It is also required for the MSE vendors to submit a certificate (certified by a practicing Chartered Accountant) for investment in Plant & Machinery or equipment by them. It is further required to submit audited balance sheet and Profit & Loss account for their turn over for the last completed Financial Year Certified by a Practicing Chartered Accountant or in the absence of the audited balance sheet and Profit & Loss Account, the turnover for the last completed Financial Year should be certified by a practicing Chartered Accountant.
- b. The above-mentioned provisions are meant for procurement of only goods produced and services rendered by MSEs and not for any trading activities done by them. A self-certification to be provided by the bidder that the tendered item is manufactured or

serviced by them and no trading activity for the tendered item is undertaken by them. Balmer Lawrie & Co Ltd reserves the right to verify the same.

c. All of the above details are mandatory to qualify for availing the benefits as per Public Procurement Policy for MSEs.

Bidder should read **Government Notification dated 1st, June'2020 in respect of "New Definition of MSE" as under** before furnishing their MSE status to qualify for availing the benefits as per Public Procurement Policy for MSEs.

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2020

S.O. 1702(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (9) of section 7 of the 'Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Small Scale Industries, dated the 29th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section3, Sub-section(ii), vide S.O. 1642(E), dated the 30th September 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies the following criteria for classification of micro, small and medium enterprises, namely:—

- (i) a micro enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed one crore rupees and turnover does not exceed five crore rupees;
- (ii) a small enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed ten crore rupees and turnover does not exceed fifty crore rupees;

This notification shall come into effect from 01.07.2020

9.1 Preference to Make In India Policy – Local content in the tendered items (Order No P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 04.06.2020 of Department for promotion Of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Govt Of India.

Further the above referred Order defines' Local Content, "Class -I local supplier" and "Class II local supplier" as under:

"Local Content" means the amount of value added in India which shall unless otherwise prescribed by the Nodal Ministry, be the total value of the item procured (excluding net domestic indirect taxes) minus the value of imported content in the item (including all custom duties) as a proportion of the total value, in percent.

Class – I local supplier – means a supplier or service provider, whose goods, services or works offered for procurement, has local content equal or more than 50%, as defined under this Order.

Class – II local supplier – means a supplier or service provider, whose goods, services or works offered for procurement, has local content more than 20%but less than 50 %, as defined under this Order.

Vendor should note that only “Class I Local Service Provider” are eligible to bid in this tender.

In view of above guidelines, in case of procurement for value less than Rs. 10 Crores, you are required to furnish information in the following prescribed format and to provide a certificate on your letter head duly signed by authorized person and in case of procurement for a value in excess of Rs. 10 Crores, you are required to provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practicing cost accountant or practicing chartered accountant (in respect of suppliers other than companies) giving the percentage of local content of the items(s). Your attention is also drawn towards Para 9 (f) and (g) of the above referred Order of GOI, prescribing action in case of false declaration, as under.

Verification of local content

1. False declarations will be in breach of the Code of Integrity under Rule 175(1)(i)(h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151 (iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.
2. A supplier who has been debarred by any procuring entity for violations of this order shall not be eligible for preference under this Order for procurement by any other procuring entity for the duration of the debarment. The debarment for such other procuring entities shall take effect prospectively from the date on which it comes to the notice of other procurement entities, in the manner prescribed under paragraph (h) below.

SI No	Service s) Description	Percentage of local content in your service(s)
	Transportation through FTL	

10.0 ESCALATION / DE-ESCALATION



10.1 The escalation / de-escalation will be payable when diesel price differential exceeds ₹ 3.00/ Litre from the reference diesel rate. For example, if diesel rate is ₹ 70, say, on the date of Reverse Auction, price escalation and de-escalation shall only be considered when diesel rate is ₹ 73/ 67 in the first instance, again when diesel rate is ₹ 76/ 70/ 64 in the second instance and so on. (i.e. once the Diesel price increase/decrease by Rs 3.00 then escalation/ De-escalation will be applicable and the increased / decreased Diesel price based on which escalation/ de-escalation executed will be considered as the new reference Diesel price for any further escalation/ De-escalation in future.)

10.2 **The reference "Diesel Rate" shall be the ruling retail price of diesel charged by IOCL in Kolkata on the date of reverse auction.**

The escalation/de-escalation shall be worked out rounded off to the nearest rupee as per the following formula:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Differential applicable} \\ \text{in contract rate} \end{array} \right\} = \frac{0.25 \times \text{Original Contract rate} \times \text{Increase/Decrease in Diesel}}{\text{Reference Diesel Rate}}$$

For example:

Contract rate ₹ 10,000 [Reference Diesel Price – ₹ 70/Litre]	Diesel Rate (₹ / Ltr)	Differential as per above formula	New Contract Rate ₹
	67.20	Nil since decrease < 3	10,000
	72.90	Nil since increase < 3	10,000
	73.10	(+) 110.71	10,111*
	75.00	Nil since increase <3	10,111*
	66.75	(-) 226.78	9,773*
(*Rounded off to the nearest rupee)			

11.0 **TAXES APPLICABLE**

11.1 GST as applicable will be paid by BL directly to Tax Authority under Reverse Charge Mechanism (RCM) as per current practice, change if any, in relevant Governmental guidelines during contract period will be addressed accordingly.

11.2 Government levies like toll tax etc shall be paid by transporter. If any new Government levy becomes payable, same will be reimbursed against submission of original receipt. However, no incidental charges in any form shall be payable.

12.0 TRANSIT INSURANCE

12.1 Transit Insurance will be covered by BL. However, the transporters have to make necessary arrangement for conducting survey, lodge FIR for enroute claims, issue short/damage certificate towards any short delivery / damage during transit or at Customer's end, within 30 days of occurrence of such incident. The transporter's relevant bill for such cases will be settled only after the required documents are received. The transporter will have to comply with the insurance formalities to enable BL to lodge the claims with the insurance company to make good any damage or loss of products or loss due to leakage/pilferage in transit. In case the transporter fails to provide such documentation as required by the insurance company, then BL shall recover from the transporter the equivalent value towards the loss. Any damage / pilferage caused by the transporter's truck / workman within BL's premises and /or at customer's end will also have to be compensated by the transporter.

13.0 DELIVERY CHALLAN(S)

13.1 The transporter shall be responsible for obtaining from BL the Duplicate for Transporter [DFT] copy, copy of Invoice, road permit or other relevant documents as required by the authorities for verification / clearance at the check post and handover to the consignee. Any financial loss suffered by BL due to loss/damage of the DFT copy while in the transporter's custody, shall be recovered from the transporter.

13.2 For dispatches to Steel Plants & other similar customers the consignee does not endorse the exact quantity received on the Invoice/Consignment Note. They issue receipt to the drivers with the remarks "SUBJECT TO QUALITY & QUANTITY CHECK". The transporter shall be fully liable for any shortage / damage subsequently intimated by such consignee.

13.3 Many of our loads will be accompanied with wooden plies used for stacking material. We will inform the Consignees about how many plies are used in the truck. The vehicle must reach consignee with the plies (irrespective of their condition: broken or intact). BL will make deduction of Rs.500/- per ply if the wooden plies don't reach consignee.

13.4 There will be a penalty @ Rs. 1000 per day for delay in delivery of material. The table given below shows the maximum number of days allowed to deliver the material. The **Time/Days allowed for delivery will exclude both days i.e. the day of dispatch from our factory and the date of delivery.** Days allowed for Delivery are as under;

Distance from Kolkata in Km	Penalty @ Rs.1000 per Day for Delay in Delivery beyond Days mentioned below
Less than 250 Km from Kolkata	2 Day
Above 250 but less than 500 km	3 Days
Above 500 but less than 1000 km	4 Days
Above 1000 but less than 1500 km	6 Days
Above 1500 but less than 2000 km	7 Days
Above 2000 but less than 2500 km	9 Days
Above 2500 km	12 Days
Two additional days will be allowed for destinations in the states of Himachal Pradesh, J&K, Uttarakhand and Assam due to hilly terrain in these states.	

The distance shall be determined using the 'Google Road Map' by the shortest motorable route from Kolkata. The imposition of this penalty will be subject to relevant clauses of "Force Majeure" explained in clause 19 of this tender. **No penalty will be imposed if the consignee is unable to unload the material. This penalty will also not apply to "Two Point / Three Point" Deliveries.**

14.0 PAYMENT TERMS

14.1 Within 30 days from the date of submission of bills along with supporting documents which includes LR copy duly acknowledged / receipted by the customer without any negative remarks and duly stamped. Shortage/damages mentioned on receipted LR will be recovered from the transporter.

14.2 Payment towards additional gross weight to be made as per weighment made in BL's works during loading.

- 14.3 Payment shall be made on 'Truck Capacity' basis (for the vehicle called for) irrespective of actual weight of the material loaded. However, transporter will be paid proportionately extra amount if the actual quantity loaded is more than the capacity of the vehicle called for.
- 14.4 All payments preferably are to be made through RTGS and accordingly the successful transporter must submit all bank particulars as per BL format within 7 (seven) working days of placement of LOI/PO on them.

15.0 AMENDMENT / RE-ALLOCATION OF THE NUMBER OF TRIPS

- 15.1 The number of trips mentioned against each destination are only indicative/estimated and during operation it may change without any limit, depending on business requirements of BL. The numbers of trips may be amended during operation. The transporter / contractor shall be bound to accept the amended numbers of trips (increase or decrease) as per the requirement of BL. However, the contract will be limited to the total value of the order placed irrespective of number of trips location-wise. Extra trips exceeding total order value will not be imposed on the transporter unilaterally.

16.0 NEW DESTINATIONS

- 16.1 During operation, new destinations may be added to the destination list. Transporters shall be bound to service any such new destination. The rate for the new destinations shall be computed as detailed in following clauses:
- a. All destinations noted in Price Schedule (Annexure I & II) shall be considered as Reference Destinations.
 - b. The rate for the new destinations shall be calculated with regard to the nearest Reference Destination. The addition / reduction of transportation distance for the new destination as compared to the nearest reference destination shall be determined from the Google Road Map by the shortest motorable route from Kolkata.
 - c. The differential amount for the new destination shall be equal to addition / reduction in transportation distance multiplied by the Rate based on the rate per KM arrived after dividing quoted price of the reference destination by shortest distance as per the final price after Reverse auction.

However, it will be applicable only if the new destination and the reference destination are in the same state. In case the reference destination and new destination fall in different state then the transporter will be at liberty to accept the rate as per above clause.

- d. The rate for the new destination shall be equal to the rate for the nearest reference destination plus/minus the differential amount for addition/ reduction respectively in transportation distance.
- e. In addition to new destinations, during the operations it may also be required to deliver material to more than one consignee/destination *en-route*. The normal freight charges for such multiple deliveries shall be paid for the farthest destination. The transporters will be paid additional charges per consignee for such multiple-delivery consignment provided the multiple consignees are *en-route* and the transporter does not end up traveling more than 50 km (25 km to & from) extra for such a delivery. If the farthest destination is less than 750 km from Kolkata, the extra/additional charges will be Rs.2500/- per consignment. If it is above 750 km but not more than 1500 km, the extra/additional amount payable will be Rs.3000/ per consignment or per additional delivery. For a farthest destination beyond 1500 km, extra/ additional charges payable will be Rs.4000/- for every extra point of, *en-route* delivery.

17.0 NON-PLACEMENT OF TRUCKS / CONTAINERS AND RISK PURCHASE.

17.1 Transporter shall be required to place trucks /containers promptly (preferably within 12 hrs from the call up) in clean & dry condition. The transporter shall place the trucks at BL's premises between 9.00 a.m. to 12.00 noon on working days and on holidays if required. If the vehicles report after 12.00 noon, BL may, at their sole discretion, load the materials or return the truck without liability for detention charges. Transporter will have to provide the trucks as per daily call up for loading the quantity of material scheduled for dispatch. In case Transporter fails to place trucks / containers as per BL's call up even **after 2 working days** from the call up date, BL shall be at liberty in transporting the goods by engaging any other transporter at the risk and cost of the contractor without further reference to the transporter. **If any transporter fails to place trucks thrice in a month, BL may, at its sole discretion, transfer order for balance quantity of the market to the bidder who is already sharing that market or to any other bidder who agrees to share it matching rates, without any further intimation to the failed transporter. Such a transporter may also lose right on other markets allotted to him. He may be disallowed to participate in our bidding process in future too.**

18.0 TERMINATION OF CONTRACT.

18.1 In the event of unsatisfactory performance, BL reserves the right to terminate the contract without any notice. In this eventuality the Security Deposit will be forfeited.

19.0 FORCE MAJEURE

19.1 Neither the Company nor the transporter shall, in any way, be held liable for non-performance either in whole or in part of this agreement or for any delay in the performance thereof in consequence of the following:

- Declared Strike / Bandhs
- Lockout/ Lock Down
- Natural Calamities
- Decrees of any Government or Governmental Authority.
- Revolution
- Wars
- Acts of enemies of the state.
- Riots
- Pandemic

Any reason other than the above will not be considered as force majeure condition.

19.2 As soon as the cause of Force Majeure has been removed, the party whose liability to perform its obligation has been affected shall notify the other of such cessation and inform the other party through such notice the actual delay incurred in such affected activities. Any such event which is Force Majeure, wherever it occurs, provided that it prevents, affects or delays the parties in performing contractual obligation shall justify the affected parties claim of Force Majeure.

20.0 GENERAL

20.1 Workmen engaged by the transporter shall abide by factory / security regulations and entry inside the factory would be only against authorized gate pass. In every respect the transporter is responsible for the good behavior and conduct etc. of his employees, contractor or assigns. Any penalty or levies being imposed on client for this account for any reasons whatsoever will be recovered from the transporter.

All workmen including driver and helpers of the trucks must abide by the safety rules of BL inside the factory premises. They must wear safety shoes, hard hats and wear normal dress like trousers and shirts. They must not wear loose dress like lungi, dhoti, banyan etc. while inside the factory premises.

20.2 Sub Contracting shall not be allowed unless specially asked for and agreed by BL.

20.3. Transporter should have office at Kolkata and an authorised person with telephone/mobile for interaction on operational matters. Transporters will have to contact the local representative of the client in certain destinations / location as informed by the BL before delivering the material.

20.4 Tracking facility for enroute status / position of the truck for delivery should preferably be provided for all locations.

20.5 The transportation contract is by lorry /containerized truck only. No other mode of transport such as hand cart/rail etc. is permitted.

20.6 The Company reserves the right to accept or reject any or all bids in full or part without assigning any causes.

20.7 **Every vehicle placed MUST be accompanied with a cleaner.** It will be noted at the security gate whenever the vehicle reports without a cleaner/helper. A deduction of Rs. 1000/- (Rupees One Thousand) will be made for every vehicle that enters BL without a cleaner/helper. Security guards at the gate of BL will also check Fitness of the Vehicles. All the vehicles provided by transporter, whether owned/hired, must be in well-maintained condition (properly covered with good tarpaulin, Cross angles and reapers covered with rubber pad) and shall meet all the parameters prescribed by the Transport Authority in respect of 'safety and fitness'. The truck placed must have tyres with proper treads and its other facilities like brakes, headlights, backlights, side-mirrors, horns, reverse-horns, hand-brake etc. must be found working properly. The platform of the truck must be free dust, rust, dents, sharp corners & areas and uneven

surfaces. A valid Pollution Certificate is also a must. Any loss/delay suffered by BL due to failure on the part of transporter (including the damages caused within factory premises) shall be recovered in full from the transporter's bill.

20.8 Please note that bids of any tenderer may be rejected if a conflict of interest arise between the bidder and company is detected at any stage.

21.0 ARBITRATION

21.1 Dispute Resolution, Governing Law and Jurisdiction

This Agreement, and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter, shall be governed by and construed in accordance with the laws of India.

undefined: All disputes, differences and questions of any nature including interpretation of this Agreement or arising out of or in connection with this Agreement or as to the rights, duties or liabilities under it of the Parties shall be referred to **Arbitration**. The procedure of the **Arbitration** shall be governed under the **Arbitration** and Conciliation Act, 1996 (as amended) and the rules thereunder as may be in force from time to time. The **Arbitration** proceedings shall be conducted in English language. The Seat of **Arbitration** shall be at Kolkata. The fees of the arbitrator will be divided equally. The Sole Arbitrator shall be appointed from the panel of arbitrators which shall be provided by Balmer Lawrie & Co.Ltd. to (the other party to the Agreement) and he/she shall assign reasons to the award.

Governing Law and Jurisdiction: The construction validity and performance of this Agreement shall be governed in all respects by the laws of the Republic of India. In relation to any legal action or proceedings to enforce this Agreement or any part hereof or any agreement pursuant thereto (“proceedings”) each of the parties, Subject to the above clause, Parties irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the Courts at

Kolkata only and waives any objection to proceedings in such Courts on the grounds of venue or on the grounds that the proceedings have been brought in an inconvenient forum. Government of India shall not be made party to any such dispute.

The parties hereby waive their right to any form of recourse against an award to any court or other competent authority, insofar as such waiver can validly be made under the applicable law.

22.0 TENDER CANCELLATION

The tender may be cancelled due to any unforeseen / unavoidable circumstances or due to any other reason at any stage of the tender processing as per the sole discretion of BL and BL is not liable to provide any reason to the applicants for the same.

23.0 GST Formalities and compliance with Regulations

Bidder shall warrant that all goods covered by this agreement / contract shall have been produced, sold, dispatched and delivered in strict compliance with all applicable laws, regulations, labor agreements, working conditions and technical codes and requirements as applicable from time to time. The Vendor shall execute and deliver such documents as may be required to effect or to evidence such compliance.

The vendor shall issue the GST paid invoice so that equivalent amount may be availed as GST credit by BL, if applicable. Vendor / vendor's nominated transporter shall ensure handing over of the transporter copy of GST paid invoice for availing GST credit & road permit to the company at the time of delivery of consignment. All unutilized / expired road permits shall be returned to the issuing unit.

"The vendor should compulsorily follow all the provisions of GST Law and in the event of any default of complying with any of the provisions of the GST Law, Balmer Lawrie would exercise the right for non-payment / withholding payment / black listing the vendor."

24.0 SUBMISSION OF PRE-QUALIFICATION BID AND CONTACT PERSON

24.1 Price-bid shall be submitted online **through e-Procurement system only.**

24.2 Any amendment/corrigendum to above Tender Notice will be uploaded only on the website of the company www.balmerlawrie.com. Interested vendors should regularly visit this website for updation or enquire over telephone with the undersigned.

24.3 The pre-qualification bid in the prescribed format along with all documents noted in clause no. 3.0 (Annexure III), tender document with each page duly signed and stamped by authorized signatory of the bidder as a token of acceptance of tender terms & conditions and EMD may be uploaded on the e-Procurement system in technical bid and has to be submitted in a sealed envelope duly super scribed as "Tender Number **GLK/TE20/088**" dated 02.09.2020 "Un-Price Bid" within the due date of 22.09.2020.

24.4 **Price must be uploaded only in price bid. Price bid uploaded with Pre-qualification bid or received in sealed envelop with pre-qualification documents are liable for rejection.**

Subhadeep Karmakar
Jr. Officer [Stores & Purchase]
Balmer Lawrie & Co. Ltd.
SBU: Greases & Lubricants
P-43, Hide Road Extension,
KOLKATA - 700 088

Phone : 033 – 2450 0133
Fax No. : 033 - 2439-5160 / 2277
E-mail : karmakar.sd@balmerlawrie.com

TENDER NOTICE NO: GLK/TE20/088, Dated : 02.09.2020

PRE-QUALIFICATION BID

1.0 PARTICULARS OF COMPANY:

- 1.1 Type of company :
(Partnership / Private Ltd. / Public Ltd. Please enclose certificate of Incorporation)
- 1.2 Year of Incorporation :
- 1.3 Full address :
- 1.4 Phone :
- 1.5 Fax :
- 1.6 e-mail :
- 1.7 Contact Person's Name :
- 1.7.1 Mobile No. :

2.0 TRANSPORT FACILITIES OFFERED:

2.1 OWNED VEHICLES:

Sl. No.	Regn. No.	Make	Capacity	Year of Manufacture	Remarks
1					
2					
3					
4					
5					
6					



7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Note: Please attach separate sheet, if necessary. (Attach copies of registration documents)

2.2 VEHICLES WITH ASSOCIATE COMPANIES:

SR. NO.	Name & Address off associate companies	No. of Vehicles owned	Nature of association

Note: Please attach proof of association – Letters from associate companies, and list of transport equipment owned by them.



2.3 Bidder shall have minimum 3 years' experience within last 5 F.Y. in transportation of goods, preferably petroleum products/ lubricants:

SR.NO	Customer Name	Business Year	PO No with date	PO/Contract Value [Rs in Cr]

- (Please mention at least one PO/Contract, min 5 years old)
- Please mention one single PO/Contract value of min 1.0 Cr

3.0 DETAILS OF ORGANISATION:

1. LIST OF OFFICES / GODOWNS IN INDIA:

Sl. No.	Location	Full address (including phone / Fax / e-mail)

Note: Please attach list in the above format.

4.0 DETAILS OF INCOME TAX & GST:

Sl. No.	Particulars		Remarks
4.1	Income Tax	Permanent A/c No.	
4.2	GST	Registration No.	
4.3	Trade Licence	Registration No.	
4.4	ESI Registration	Registration No.	

Note: Please attach copy of certificates.

5.0 DETAILS OF TURNOVER / SALES:

(Rs / lakhs)

<i>Particulars</i>			
Net worth (Share Capital & Reserves)			
Turnover/Sales			
PBT			
Tax Paid			
PAT			

Note: Please Enclose Balance Sheets for the above-mentioned years.

6.0 DETAILS OF BANKER

6.1 Name of Banker :

6.2 Branch :

6.3 Account No. & Year of Opening :

7.0 Other Information:

7.1 Is the company a sick / potentially sick company? : Yes / No

7.2 Has the company been black listed by any Public Sector/ State Govt Enterprise? : Yes / No

7.3 Does the company have business with any other unit of Balmer Lawrie? : Yes / No
(If yes, attach details.)

7.4 Is the company Bank approved : Yes / No
(If yes, attach details).

We certify the above information is true to the best of our knowledge.

(Authorised Signatory)

Date :

Place :

Enclosure:

- 1) Copies of all document as asked above.
- 2) EMD of Rs. 5,00,000 vide Pay Order / DD nodated.....
drawn on bank.....
- 3) One Copy of Tender Document along with all Annexures duly signed and sealed shall be submitted as token of acceptance of all terms & conditions of tender.

Other Enclosures (Please list)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Ref : Tender No: GLK/TE20/088, dated 02.09.2020

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF ON LINE BIDDING

1.0 GENERAL CONDITIONS

- 1.1 Bidders shall commit to supply the product/service (being bid for) at the price entered by them in the online bid AND at the terms and conditions specified herein by the BL. All Prices entered shall be legally binding on the Bidders. Bidders are strongly advised to exercise due diligence while placing bids. Failure to honour the bids placed during the online Bid shall render the bidders liable for any penal action as deemed fit by BL or its e-bidding agent.
- 1.2 In the event of winning an allotment in the bidding event, the bidder shall commit to fulfil outlined obligations under the contract.
- 1.3 The bidder shall bid on the terms specified by BL and place their bids in the online bid in the manner specified by our e-bidding agent. The Bidder shall not stipulate any conditions on his/her own unless the terms of the Client (in the BL's Terms and Conditions) expressly permit such conditions being stipulated by the Bidder. Bids entered with conditions attached shall be considered Conditional bids and e-bidding agent retains the right of rejecting these bids even without intimating the BL.
- 1.4 BL or its e-bidding agent shall not be responsible for any delays in initiating the online bidding event or postponement/cancellation of the online bid proceedings due to any problem with the hardware/ software/ infrastructural facilities or any other shortcomings.

2.0 RIGHT OF BL

BL reserves the right to partially or totally accept or reject any/all bids placed in the Online Bidding Event without assigning any reason whatsoever. BL also retains the right to allot the requirement to more than one bidder or consolidate the requirements among one or more bidders.

3.0 DEFINITION OF KEY TERMS

3.1 On Line bidding Event/ Reverse Auction

Online Bidding/Negotiation Event (Reverse Auction/ Open Request for Quotation/ Sealed Bid) refers to those negotiations conducted through the Internet with the bidders (from one or more locations) simultaneously bidding, to be selected for providing the service/s in the online bid. In other words, the venue for the online bid is on an Internet website/ platform. Any other URL assigned by e-bidding agent would constitute venue for the purpose of the online bidding event.

3.2 Timing of the on-line bid

All the timings of the Online Bid shall be based on the time indicated by the Server hosting the Bid/Auction Engine. It shall be the endeavour of e-bidding agent to ensure that the Server Time reflects as closely as possible the Indian Standard Time (IST) i.e. GMT + 0530 hrs. However, in the event of any deviations between the Server Time and the Indian Standard Time, the functioning of the Bid/Auction Engine (launch, operation, closure) would be guided by the Server Time. Bidders are advised to refresh both the windows of the online bid to check the exact Server Time (displayed in both the windows).

3.3 Preview Time & Start Time

Preview Time refers to the period of time that is provided prior to the commencement of bidding. This is to facilitate approved participants to view the bidding details such as item specification and bidding rules. The purpose is also to familiarise participants with the functionalities and screens of the online bidding mechanism. It is not mandatory for e-bidding agent to provide Preview Time.

Start time refers to the time of commencement of the conduct of the online bid. It signals the commencement of the Price Discovery process through competitive bidding.

3.4 Auto Extension of the on-line bid timing

In the event of bids in the last few minutes of the scheduled bid time, the Bid Timings are automatically extended for a specified period from each such bid. Such Auto Extension shall continue until no bids are placed for the specified period (Engine remains inactive for the specified period). The Inactivity Time for Auto Extension purpose is normally 7 minutes. The e-bidding agent however have the right to change the same. The Inactivity Time applicable for the particular Online Bid shall be visible to the bidders under the Bidding Rules module on the engine.

3.5 End of the on-line bidding event.

End of the Online Bidding Event refers to the termination of the online bid proceedings signalling an end to the price discovery process.

**Proforma of the Guarantee
(Security Deposit)**

Balmer Lawrie & Co. Ltd.
(Address)

Dear Sir,

That Messrs/Mr _____ (set out full name and address and constitution of the Contractor) (hereinafter referred to as “the Contractor”) filed their/his/its quotation against your tender being Tender No. dated _____ (hereinafter referred as “the said Tender”) for the work _____ (set out the purpose of the job) and in pursuance thereto an Order being No. _____ dated _____ (hereinafter referred to as “the Order”) was issued by you to the Contractor.

The conditions of the said Tender, inter alia, requires that the Contractor shall pay a sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) as full security deposit (hereinafter referred to as “the security deposit”) in the form therein mentioned. The form of payment of security deposit includes a guarantee to be executed by a Scheduled Bank.

The said Messrs/Mr. _____ (set out full name of the Contractor) have/has approached us and at their/his/its request and in consideration of the premises We, _____ (set out full name of the Bank) having our office, inter alia. at _____ (state the address of Bank) have agreed to give such guarantee in the manner following:

1. We, _____ (set out full name of the Bank). hereby undertake and agree with you if default is made by Messrs/Mr. _____ (set out full name of the Contractor), in performing any of the terms and conditions of the Tender and/or order or in payment of the security deposit or any other or in payment of money payable to you, We _____ (set out full name of the Bank) shall merely on demand from you without demur or protest shall pay you the said amount of Rs. _____ (Rupees _____ only) or such portion thereof not exceeding the said sum as you may demand from time to time.
2. We, _____, (set out full name of the Bank), further agree with you that you shall have the fullest liberty to without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to adopt any mode for realisation of your dues from the Contractor and/or to vary any of the Terms and Conditions of your Contract with the said Messrs/Mr. _____ (set out full name of the contractor), or to extend time of performance by Contractor from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by you against Contractor and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the Contract and We, _____, (set out full name of the Bank) shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or any

indulgence to be given by you to the Contractor or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision have effect of so releasing us.

3. Your right to recover the said sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) from us in the manner aforesaid will not be affected or suspended by reason of the fact that any dispute or disputes is/are pending before any Officer, tribunal, court of any other authority of authorities.
4. The guarantee herein contained shall not be determined or affected by liquidation or winding up, dissolution or change of constitution or insolvency of the said Messrs/Mr. _____ (set out the full name of the contractors), but shall in all respect, and for all purposes be binding and operative until payment of all the money due to you in respect of such liabilities is paid.
5. Our liability under this guarantee is restricted to Rs. _____ (Rupees _____ only).
6. Our guarantee shall remain in force and effect until _____ (set out the date of Expiry), and unless a claim or demand in writing is made against us under this guarantee before the expiry of six months from the aforesaid date i.e. _____ (set out last date of Claim Period), the said Guarantee all your rights under this guarantee shall be forfeited and We, _____, (set out full name of the Bank) shall be relieved and discharged from all liabilities thereunder.
7. We, _____ (set out full name of the Bank) undertake not to revoke this Guarantee during its currency except with your previous consent in writing.
8. We, _____, (set out full name of the Bank) have power to issue this Guarantee in your favour under our Memorandum and Articles of Association and the undersigned has full power to execute/sign this Guarantee under the Power of the Attorney dated the _____ day of Two Thousand Twenty granted by the Bank.

Yours faithfully,

Dated:

_____ (Place)

_____ (Date)

(Signature of the Officer on
behalf of _____)
(set out name of the Bank)

Integrity Pact

Annexure- VI

Balmer Lawrie & Co. Limited (BL) hereinafter referred to as "The Principal".

And

_____, hereinafter referred to as "The Bidder/Contractor"

Preamble

The Principal intends to award, under laid down organizational procedures, contract/s for _____.

The Principal values full compliance with all relevant laws of the land, rules, regulations, economic use of resources and of fairness/transparency in its relations with its Bidder(s) and /or Contractor(s).

In order to achieve these goals, the Principal will appoint an Independent External Monitor (IEM), who will monitor the tender process and the execution of the contract for compliance with the principles mentioned above.

Section 1- Commitments of the Principal

1. The Principal commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles: -
 - a. No employee of the Principal, personally or through family members, will in connection with the tender for, or the execution of a contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
 - b. The Principal will, during the tender process treat all Bidder(s) with equity and reason. The Principal will in particular, before and during the tender process, provide to all Bidder(s) the same information and will not provide to any Bidder(s) confidential/additional information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the tender process or the contract execution.
 - c. The Principal will exclude from the process all known prejudiced persons.



2. If the Principal obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the IPC/PC Act, or if there be a substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can initiate disciplinary actions.

Section2- Commitments of the Bidder(s)/ Contractor(s)

1. The Bidder(s)/Contractor(s) commit himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the tender process and during the contract execution.
 - a. The Bidder(s) / Contractor(s) will not, directly or through any other persons or firm, offer, promise or give to any of the Principal's employees involved in the tender process or the execution of the contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the tender process or during the execution of the contract.
 - b. The Bidder(s)/Contractor(s) will not enter with other Bidders into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to introduce cartelization in the bidding process.
 - c. The Bidder(s)/Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act; further the Bidder(s) /Contractors will not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the Principal as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.
 - d. The Bidder(s)/Contractor(s) of foreign origin shall disclose the name and address of the Agents/representatives in India, if any. Similarly, the Bidder(s)/Contractor(s) of Indian Nationality shall furnish the name and address of the foreign principals, if any. Further details as mentioned in the "Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers" shall be disclosed by the Bidder(s)/Contractor(s). Further, as mentioned in the Guidelines all the payments made to the Indian agent/representative have to be in Indian Rupees only. **Copy of the "Guidelines on Indian Agents of Foreign**

Suppliers' as annexed and marked as Annexure - A

- e. The Bidder(s)/Contractor(s) will, when presenting his bid, disclose any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the contract.
2. The Bidder(s)/Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.

Section 3: Disqualification from tender process and exclusion from future contracts

If the Bidder(s)/Contractor(s), before award or during execution has committed a transgression through a violation of Section 2, above or in any other form such as to put his reliability or credibility in question, the Principal is entitled to disqualify the Bidder(s) /Contractor(s) from the tender process or act as per the procedure mentioned in the "Balmer Lawrie Policy on Blacklisting". **Copy of the "Balmer Lawrie Policy on Blacklisting" is annexed and marked as Annexure - B.**

Section 4: Compensation for Damages

- a) If the Principal has disqualified the Bidder(s) from the tender process prior to the award according to Section 3, the Principal is entitled to demand and recover the damages equivalent to Earnest Money Deposit/Bid Security.
- b) If the Principal has terminated the contract according to Section 3, or if the Principal is entitled to terminate the contract according to Section 3, the Principal shall be entitled to demand and recover from the Contractor liquidated damages of the Contract value or the amount equivalent to Performance Bank Guarantee.

Section 5: Previous Transgression

- a. The Bidder declares that no previous transgressions occurred in the last three years with any other company in any country conforming to the anti-corruption approach or with any other public sector enterprise in India that could justify his exclusion from the tender process.
- b. If the bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the tender process or action can

be taken as per the procedure mentioned in "Balmer Lawrie Policy on Blacklisting".

Section 6: Equal treatment of all Bidders/Contractors/Subcontractors.

- a. The Bidder(s)/Contractor(s) undertake(s) to demand from all subcontractors a commitment in conformity with this Integrity Pact, and to submit it to the Principal before contract signing.
- b. The Principal will enter into agreements with identical conditions as this one with all bidders, contractors and subcontractors.
- c. The Principal will disqualify from the tender process all bidders who do not sign this Pact or violate its provisions.

Section 7: Criminal charges against violation Bidder(s)/ Contractor(s)/Subcontractor(s).

If the Principal obtains knowledge of conduct of a Bidder, Contractor or Subcontractor, or of an employee or a representative or an associate of a Bidder, Contractor or Subcontractor which constitutes corruption, or if the Principal has substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the same to the Chief Vigilance Officer.

Section 8: Independent External Monitor/Monitors

- (a) The Principal appoints competent and credible Independent External Monitor for this Pact. The task of the Monitor is to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this agreement.
- (b) The Monitor is not subject to instructions by the representatives of the parties and performs his functions neutrally and independently. He reports to the Chairman & Managing Director, BL.
- (c) The Bidder(s)/Contractor(s) accepts that the Monitor has the right to access without restriction to all project documentation of the Principal including that provided by the Contractor. The Contractor will also grant the Monitor, upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his project documentation. The same is applicable to Subcontractors. The Monitor is under contractual obligation to treat the information and documents of the Bidder(s)/Contractor(s)/Subcontractor(s) with confidentiality.

- (d) The Principal will provide to the Monitor sufficient information about all meetings among the parties related to the Project provided such meetings could have an impact on the contractual relations between the Principal and the Contractor. The parties offer to the Monitor the option to participate in such meetings.
- (e) As soon as the Monitor notices, or believes to notice, a violation of this agreement, he will so inform the Management of the Principal and request the Management to discontinue or take corrective action, or to take other relevant action. The monitor can in this regard submit non-binding recommendations. Beyond this, the Monitor has no right to demand from the parties that they act in a specific manner, refrain from action or tolerate action.
- (f) The Monitor will submit a written report to the CMD, BL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the Principal and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.
- (g) Monitor shall be entitled to compensation on the same terms as being extended to / provided to Independent Directors on the BL Board.
- (h) If the Monitor has reported to the CMD, BL, a substantiated suspicion of an offence under relevant IPC/PC Act, and the CMD, BL has not, within the reasonable time taken visible action to proceed against such offence or reported it to the Chief Vigilance Officer, the Monitor may also transmit this information directly to the Central Vigilance Commissioner.
- (i) The word 'Monitor' would include both singular and plural.

Section 9 - Pact Duration

This pact begins when both parties have legally signed it. It expires for the Contractor 10 months after the last payment under the contract, and for all other Bidders 6 months after the contract has been awarded.

Note: (The periods may be extended to suit the individual unit's requirements)

If any claim is made / lodged during this time, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this pact as specified above, unless it is discharged / determined by CMD, BL.

Section 10 - Other provisions

- a) This agreement is subject to Indian Law. Place of performance and jurisdiction is the Registered Office of the Principal, i.e. Kolkata.
- b) Changes and supplements as well as termination notices need to be made in writing. Side agreements have not been made.

- c) If the Contractor is a partnership or a consortium, this agreement must be signed by all partners or consortium members.
- d) Should one or several provisions of this agreement turn out to be invalid, the remainder of this agreement remains valid.
In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

(For & on behalf of the Principal)

(Office Seal)

Place -----
Date -----

Witness 1:
(Name & Address)

Witness 2:
(Name & Address)

(For & On behalf of Bidder/Contractor)

(Office Seal)



GUIDELINES FOR INDIAN AGENTS OF FOREIGN SUPPLIERS

- 1.0 There shall be compulsory registration of agents for all global (Open) Tender and Limited Tender. An agent who is not registered with BL shall apply for registration in the prescribed Registration Form.
- 1.1 Registered agents will file an authenticated photocopy duly attested by a Notary Public/ Original certificate of the Principal confirming the agency agreement and giving the status being enjoyed by the agent and the commission/ remuneration/ retainer-ship being paid by the principal to the agent before the placement of order by BL.
- 1.2 Wherever the Indian representatives have communicated on behalf of their principals and the foreign parties have stated that they are not paying any commission to the Indian agents, and the Indian representative is working on the basis of salary or as retainer, a written declaration to this effect should be submitted by the party (i.e. Principal) before finalizing the order.

2.0 DISCLOSURE OF PARTICULARS OF AGENTS/ REPRESENTATIVES IN INDIA, IF ANY.

- 2.1 Tenderers of Foreign nationality shall furnish the following details in their offer:
 - 2.1.1 The name and address of the agents/representatives in India, if any, and the extent of authorization and authority given to commit the Principals. In case the agent/ representative be a foreign Company, it shall be confirmed whether it is real substantial Company and details of the same shall be furnished.
 - 2.1.2 The amount of commission/ remuneration included in the quoted price(s) for such agents/representatives in India.
 - 2.1.3 Confirmation of the Tenderer that the commission/ remuneration if any, payable to his agents/ representatives in India, may be paid by BL in Indian Rupees only.
- 2.2 Tenderers of Indian Nationality shall furnish the following details in their offers:
 - 2.2.1 The name and address of the foreign Principals, if any, indicating their nationality as well as their status, i.e, whether manufacturer or agents of manufacturer holding the Letter of Authority of the Principal specifically authorizing the agent to make an offer in India in response to tender either directly or through the agents/representatives.

- 2.2.2 The amount of commission /remuneration included in the price(s) quoted by the tenderer for himself.
- 2.2.3 Confirmation of the foreign principals of the Tenderer that the commission/ remuneration, if any, reserved for the Tenderer in the quoted price(s), may be paid by BL in India in equivalent Indian Rupees on satisfactory completion of the Project or supplies of Stores and Spares in case of operation items.
- 2.3 In either case, in the event of contract materializing, the terms of payment will provide for payment of the commission/ remuneration, if any, payable to the agents /representatives in India in Indian Rupees on expiry of 90 days after the discharge of the obligations under the contract.
- 2.4 Failure to furnish correct and detailed information as called for in paragraph 2.0 above will render the tender concerned liable to rejection or in the event of a contract materializing, the same liable to termination by BL. Besides this, there would be a penalty of banning business dealings with BL or damage or payment of a named sum.

* * * *

****In case any deviation in language, English part will be considered final.***

बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड

ग्रीसेस & लुब्रिकेंट्स

पी-43, हाइड रोड एक्स्टेंशन, कोलकाता - 700 088

“निविदाकृत मद जीईएम में उपलब्ध नहीं है/हैं। बामर लॉरी & कंपनी लिमिटेड को जीईएम में उक्त वस्तु (वस्तुएं) उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

निविदा सं . : जीएलके/टीई20/088, दिनांक: 02.09.2020

जमा करने की तारीख : 22.09.2020 अपरान्ह 3:00 बजे. [भारतीय मानक समय]

विषय: ग्रीसेस & लुब्रिकेंट्स डिविजन, कोलकाता से भारत के विभिन्न स्थानों के लिए बैरल, डिब्बों या किसी अन्य मानक पैकिंग से पैक किए गए विभिन्न प्रकार के ग्रीस, लुब्रिकेंट और संबंधित उत्पादों के बहिर्गामी परिवहन (एफटीएल) के लिए निविदा।

1.0 प्रस्तावना

1.1 **एसबीयू:** बामर लॉरी & कंपनी लिमिटेड (बीएल) के ग्रीसेस & लुब्रिकेंट्स, कोलकाता द्वारा ख्याति प्राप्त और पूर्व शर्तों के मानदंडों को पूरा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जिसके बारे में आगे बैरल में पैक किये गये विभिन्न ग्रीसेस & लुब्रिकेंट्स और संबंधित उत्पादों के परिवहन के लिए उल्लेख किया गया है। भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए ग्रीसेस & लुब्रिकेंट्स प्रभाग (जी एवं एल), कोलकाता से डिब्बों या किसी अन्य मानक पैकिंग। [संदर्भ संलग्नक संलग्न - I और II देखें]। उल्लिखित भार सर्वोत्तम अनुमान हैं और बाध्यकारी नहीं हैं।

- 1.2 उपयुक्त संदर्भ में "बीएल", "बामर लॉरी" और "कंपनी" शब्दों का आशय, कंपनी अधिनियम, 1913 के अंतर्गत शामिल बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड से है, और इसका पंजीकृत कार्यालय 21, एन एस रोड, कोलकाता- 700 001 में है।
- 1.3 इच्छुक बोलीदाता कंपनी की वेबसाइट [www.balmerlawrie.com] से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।

2.0 अनुबंध की अवधि

- 2.1 अनुबंध एलओआई/पीओ की तारीख से **18 कैलेंडर महीनों** के लिए प्रभावी होगा।
- 2.2 लिखित रूप में दोनों पक्षों की सहमति से, आपसी समझौते पर अनुबंध को छह महीने की एक अन्य अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

3.0 पूर्व-योग्यता / पात्रता मानदंड

- 3.1 बोलीदाता को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- 3.1.1 बोलीदाता के पास 7.5 मीट्रिक टन के बाजार में भाग लेने के लिए **7.5 मीट्रिक टन** या उससे अधिक बेसलोड प्रत्येक के न्यूनतम **15 (पंद्रह) टर्कों** का स्वामित्व होना आवश्यक है। (ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्टर/मालिक/ ट्रांसपोर्टर के किसी साझेदार के नाम पर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियों को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया जाना आवश्यक है)।
- 3.1.2 बोलीदाता के पास 15/16 मीट्रिक टन बाजार की श्रेणी में भाग लेने के लिए **15 मीट्रिक टन** या उससे अधिक बेसलोड के **न्यूनतम 15 (पंद्रह) टर्कों** का स्वामित्व होगा। (ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्टर/मालिक/ ट्रांसपोर्टर के किसी साझेदार के नाम पर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियों को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया जाना आवश्यक है)।

- 3.1.3 बोलीदाता के पास दोनों श्रेणी के बाजारों में भाग लेने के लिए प्रत्येक 7.5 मीट्रिक टन या उससे अधिक बेसलोड के न्यूनतम 15 (पंद्रह) ट्रकों का स्वामित्व होगा और साथ ही 15 मीट्रिक टन या उससे अधिक बेसलोड के न्यूनतम 15 ट्रकों का स्वामित्व होना आवश्यक है। (ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्टर/मालिक/ ट्रांसपोर्टर के किसी साझेदार के नाम पर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियों को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया जाना आवश्यक है)।
- 3.1.4 सभी ट्रक 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। ऐसा होने के मामले में, उन ट्रकों को नहीं गिना जाएगा।
- 3.1.5 बोलीदाता को सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रतिष्ठित निजी कंपनियों को पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से न्यूनतम 3 (तीन) वर्ष का पेट्रोलियम उत्पादों/लुब्रिकेंट और ग्रीस परिवहन करने का अनुभव होना चाहिए, [अनुभव के समर्थन में प्रमाण-पत्र (पत्रों)/औपचारिक समझौते/ पीओ की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी]।
- 3.1.6 पिछले 5 वित्तीय वर्षों के भीतर किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में 20 (बीस) करोड़ रुपए का न्यूनतम वार्षिक कारोबार। प्रैक्टिस कर रहे लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट और पीएल ए/सी जैसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 3.1.7 बोलीदाताओं ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष में न्यूनतम 1 करोड़ रुपए ऑर्डर मूल्य के का कम से कम एक एकल कार्य को निष्पादित किया हो। [साक्ष्य के रूप में इसकी प्रतिलिपि (लिपियां) प्रस्तुत करनी होंगी]।
- 3.1.8 बोलीदाता कंपनी "वाहक के जोखिम पर" कंसाइनमेंट टिप्पणी जारी करने की स्थिति में होगी और इसके लिए सहमत हो जाएगी। कमी या क्षति के मामले में, बिना शर्त और अयोग्य कमी घोषित किया जाने वाला प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। [लेटरहेड पर की गई घोषणा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाई गई होनी चाहिए]।
- 3.1.9 बोलीदाताओं के पास कोलकाता में या कोलकाता नगर निगम की बाहरी सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर अपना कार्यालय होगा, वे किसी भी समय पत्राचार और/या खेपों पर नज़र रखने के लिए टेलीफोन और ई-मेल सुविधाओं से लैस होंगे।

- 3.1.10 सार्वजनिक वाहक वाहन संचालक (पीसीवीओ)/ किसी भी सरकारी कंपनी/सार्वजनिक इकाइयों/सरकारी विभागों द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए ट्रक निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं। यदि ट्रांसपोर्टर/बोलीदाता ने वाणिज्यिक बोली के समय इसका खुलासा नहीं किया है और बाद में पता चलता है कि ट्रांसपोर्टर ने तथ्यों को छिपाया है, तो ट्रांसपोर्टर/बोलीदाता तत्काल प्रभाव से अनुबंध की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा और बयाना राशि/ सुरक्षा जमा ज़ब्त कर लिया जाएगा बीएल के पास ऐसे ट्रांसपोर्टर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा।
- 3.1.11 केवल भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अनुमोदित ट्रांसपोर्टर आवेदन करने के लिए पात्र हैं। मान्य आईबीए प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 3.1.12 बिना किसी अगली सूचना के किसी भी समय बोली को अस्वीकार करने के सभी अधिकार बीएल के पास सुरक्षित रहेंगे।

4.0 बयाना जमा राशि (बयाना राशि) और जमानत राशि (एसडी)

- 4.1 बोलीदाता 5,00,000 (केवल पांच लाख) की ब्याज मुक्त बयाना राशि जमा करेगा। बयाना राशि राशि का भुगतान ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण/पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा, जो "बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड" के पक्ष में बनाया गया और कोलकाता में देय हो, इसे पूर्व-पात्रता बोली के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। निविदा को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता(ओं) की बयाना राशि को जमानत राशि जमा करने तक बरकरार रखा जाएगा।

जिन बोलीदाताओं की मुक्त बयाना राशि/जमानत राशि बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के पास पड़ी हो, वे लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं कि सत्यापन के अधीन, बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा निविदा विषय के उसे बयाना राशि माना जाए, यह राशि इस निविदा के लिए आवश्यक बयाना राशि के संदर्भ में पर्याप्त होनी चाहिए।

सफल ट्रांसपोर्टर, आदर्श के संतोषजनक निष्पादन के लिए डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी (अनुलग्नक- V के रूप में संलग्न जमानत राशि के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप) द्वारा आदेश मूल्य के 5% निकटतम हजार तक समायोजित जमानत राशि जमा करेगा जो न्यूनतम 5,00,000 (केवल पाँच लाख) होगी। निर्धारित समय के भीतर जमानत राशि प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, बीएल आदेश को समाप्त करने और बोलीदाता को आगे सूचित किए बिना बयाना राशि को जब्त करने का हकदार होगी।

प्रदत्त सेवाओं के विरुद्ध कंपनी से बकाया भुगतान करने वाले बोलीदाता जमानत राशि के लिए इस तरह की बकाया राशि को जमानत राशि के रूप में जमा करने का चयन कर सकते हैं। बकाया राशि में बकाया या न किए गए सभी भुगतान शामिल होंगे। इस खंड के अंतर्गत जमानत राशि का प्रस्तुतिकरण कंपनी द्वारा अपने विवेकाधिकार से प्रस्ताव की स्वीकृति के अधीन होगा।

5.0 निविदा में भागीदारी

5.1 इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे केवल ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से बोली के लिए आवेदन करें। इसके लिए उनके पास उपयुक्त डिजिटल हस्ताक्षर और उपयोगकर्ता लॉगिन और पासवर्ड होना चाहिए। अपनी निविदा भागीदारी प्रक्रिया शुरू करने के लिए सहायक/निम्नलिखित दस्तावेजों को सिस्टम में अपलोड किया जा सकता है या मुहरबंद लिफाफे पर निविदा संख्या और निविदा की तिथि या दोनों लिख कर भेजा जा सकता है:

- a) मूल्य हीन बोली:- निविदा दस्तावेज (अर्थात यह दस्तावेज), प्रत्येक पृष्ठ पर टीओटीओ में इस 'टेंडर' के नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित कर या तो सीलबंद लिफाफे में भेजा जा सकता है या ई-प्रोक में अपलोड किया जाना चाहिए।
- b) अनुबंध - III में उल्लिखित अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज ट्रांसपोर्टर द्वारा पूर्व-योग्यता मानदंडों की पूर्ति का समर्थन/पुष्टि करने वाले दस्तावेज।

c) डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर (एनईएफटी/ आरटीजीएस/आईएमपीएस आदि) जैसा कि पहले कहा गया था कि इस निविदा दस्तावेज को एक मुहरबंद लिफाफे में भेजा जाना है और इसकी स्कैन की हुई कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए।

5.2 प्रतिभागियों को ई-खरीद (श्रेणीवार बाजार वार कुल मूल्य बहिष्करण: जीएसटी) पर ऑनलाइन उद्धरण करना होगा। यदि भागीदार किसी भी बाजार के लिए बोली नहीं लगाता है, तो उसी बाजार के लिए for 0 'ई-प्रोक पर डालें। प्रतिभागी ऑनलाइन मूल्य बोली (भाग-II) भी अपलोड करेंगे। उद्धृत मूल्य निविदा की तारीख से 120 दिनों के लिए मान्य होगा। मूल्य बोली का प्रारूप केवल संदर्भ के उद्देश्यों के लिए इस निविदा सूचना से संलग्न है। केवल उन बोलीदाताओं की ऑनलाइन मूल्य बोलियां को खोला/विचार किया जाएगा, जो तकनीकी रूप से योग्य हैं।

मूल्य बोली केवल ई-प्रोक में उल्लिखित अपलोड प्रावधान के माध्यम से मूल्य बोली अनुभाग में अपलोड की जानी चाहिए और तकनीकी बोली के साथ अपलोड नहीं की जानी चाहिए। दिए गए प्रारूप के अनुसार मूल्य बोली को भरना, स्कैन करना और अपलोड करना आवश्यक है।

बोली लगाने वालों के लिए सभी बाजारों के लिए बोली लगाना जरूरी नहीं है। बोलीदाता एक या अधिक बाजारों के लिए बोली लगा सकते हैं। हालांकि, किसी बाजार में सभी व्यक्तिगत गंतव्यों के लिए दरों को उद्धृत किया जाना चाहिए, जोजिसमें असफल होने पर उस विशेष बाजार के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा। **बोलीदाताओं को एक सॉफ्ट कॉपी में भी वही डेटा जमा करने के लिए कहा जा सकता है।**

5.3 श्रेणीवार, बाजार वार ऑन लाइन उद्धृत मूल्य अपलोड की गई श्रेणी वार, बाजार वार कीमत के साथ समान होना चाहिए

6.0 **समीक्षा की प्रक्रिया**

6.1 पूर्व-योग्यता मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले बोलीदाताओं को ऑनलाइन नीलामी की तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें ऑन-लाइन बोली में भाग लेने के लिए लॉग-इन आईडी और पासवर्ड आवंटित किया जाएगा।

- 6.2 ऑन लाइन नीलामी कुल बाजार वार राशि पर की जाएगी। ऑनलाइन नीलामी के दौरान की प्रस्तुति की किसी भी कमी गंतव्य के लिए उद्धृत अंतिम दरों पर पहुंचने के उद्देश्य के लिए अलग-अलग गंतव्य दरों पर लागू अनुपात में होगी।
- 6.3 आरंभिक बोली मूल्य (एसबीपी) और न्यूनतम गिरावट की राशि को विपरीत नीलामी के प्रारंभ में ऑन-लाइन संप्रेषित किया जाएगा।
- 6.4 यह उन बोलीदाताओं के लिए 'अनिवार्य' होगा जिन्होंने विपरीत नीलामी में अपनी अंतिम बोली के अनुसार आदेश को स्वीकार करने के लिए विपरीत नीलामी में भाग लिया है। यदि कोई ट्रांसपोर्टर विपरीत नीलामी में उनके द्वारा उद्धृत दर पर आदेश को स्वीकार/निष्पादित करने से इनकार करता है, तो उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और ट्रांसपोर्टर को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है। ऐसा होने पर, एल-2 बोलीदाता (विपरीत नीलामी के अनुसार) स्वचालित रूप से एल-1 हो जाएगा और एल-3 बोलीदाता को एल-2 और इसी क्रम में माना जाएगा। इसलिए, बोली लगाने वालों को विपरीत नीलामी में उनके द्वारा उद्धृत दर पर आदेश को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। अंतिम बोली को वापस लेने का कोई दावा नहीं किया जाएगा और न ही बीएल उन अतिरिक्त बोलियों पर विचार करेगा जो ऑनलाइन विपरीत नीलामी के बाद बिजली की विफलता या कनेक्टिविटी के मुद्दों के कारण विपरीत नीलामी के दौरान बोलीदाता द्वारा अपलोड नहीं की जा सकती थी।
- 6.5 ऑन-लाइन नीलामी के सामान्य नियम और शर्तें अनुबंध-IV में दी गई हैं।

7.0 दरों का आधार

दरों का आधार निम्नानुसार होगा:

- 7.1.1 उद्धृत की गई दरें अनुबंध के निष्पादन के समय लागू जीएसटी या किसी अन्य वैधानिक लेवी को छोड़कर होंगी, लेकिन वाहन में माल लोड करने के लिए श्रम शुल्क, गंतव्यों पर समान उतारने और अन्य आकस्मिक शुल्क, यदि कोई हो, को उनमें शामिल किया जाएगा। **कोलकाता या कंसाइनी**

के परिसर में लगाए गए किसी भी स्थानीय लेवी का वहन भी ट्रांसपोर्टर्स द्वारा किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को दरों का हवाला देते हुए इस तरह के लेवी की वसूली करनी चाहिए।

- 7.1.2 उद्धृत अवधि अनुबंध अवधि के दौरान स्थिर रहेगी, सिवाय उस वृद्धि/कमी खंड के जो बाद में परिभाषित की गई है। किसी भी परिस्थिति में दर में बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7.1.3 उद्धृत की गई दरें कंसाइनी के कारखाने/गोदाम में और ग्राहक के परिसर में शहर/शहर के आसपास के क्षेत्र में स्थित होंगी, जहां कारखाना/गोदाम स्थित है, वहां सुपर्दगी के लिए आवेदन करना होगा।
- 7.1.4 उद्धृत दरें एफटीएल आधार पर खुले ट्रक/कंटेनर ट्रक के लिए होंगी। न्यूनतम गारंटी भार 7.5 मीट्रिक टन/15 मीट्रिक टन क्षमता के ट्रक हैं जैसा कि अनुबंध-1 और II में वर्णित है। यदि लागू हो तो इन भार से अधिक भार के मामले में आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त भाड़ा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- 7.1.5 यदि ट्रांसपोर्टर ने 'दूर के स्थान' के लिए कम दर और अपेक्षाकृत निकट स्थान के लिए उच्च दर उद्धृत की है, जो मार्ग में पड़ता है, तो बीएल ट्रांसपोर्टर को उस स्थान के लिए वाहन रखने के लिए कह सकती है जो अधिक दूरी पर है, लेकिन ऐसी जगह पर सामान वितरित करने के लिए कह सकती है जो उस स्थान के करीब है जिसके लिए वाहन की माँग की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि सिलिगुड़ी के लिए बोली 12000 रुपए है और मालदा के लिए 13000 रुपए है, तो बीएल ट्रांसपोर्टर को सिलिगुड़ी के लिए एक वाहन रखने के लिए कह सकती है, लेकिन मालदा में 12,000/- रुपए में सामग्री पहुंचाने के लिए कहेगा। इसलिए, ट्रांसपोर्टर्स को दरों को सावधानीपूर्वक और तार्किक रूप से उद्धृत करने की सलाह दी जाती है।
- 7.1.6 कम प्राप्ति के मामले में, वास्तविक मूल्य पर सामग्री का चालान ट्रांसपोर्टर के भुगतान से काट लिया जाएगा। कंसाइनी द्वारा सामग्री की कम प्राप्ति के संबंध में उस प्रो-राटा कटौती के अलावा, ट्रांसपोर्टर्स के चालान से कटौती की जाएगी।
- 7.1.7 हमारे परिसर में वजन किया जाएगा। हमारी तौल को अंतिम माना जाएगा।

- 7.1.8 एफटीएल के लिए ट्रांसशिपमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जब तक लिखित रूप में कंपनी द्वारा अनुमति न दी जाए, ट्रांसशिपमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि एलआर/वेबिल पर वाहन संख्या और गंतव्य तक पहुंचने वाले वाहन अलग-अलग हैं तो कंपनी किराये की राशि का 15% या 15,000/- रुपए (जो भी कम हो) का जुर्माना लगा सकती है। फिर भी, यदि ट्रांसपोर्टर ने बीएल को ट्रांसशिपमेंट के लिए मजबूर करने की स्थिति (जैसे वाहन की विफलता, दुर्घटना आदि) के बारे में लिखित रूप में सूचित किया है और बीएल के संबंधित अधिकारी ने लिखित रूप में उसी के लिए सहमति दी है तो जुर्माना माफ किया जाएगा।
- 7.1.9 वाहन में जगह होने पर भी, बीएल के माल के साथ अन्य माल की आंशिक लोडिंग पूरी तरह से निषिद्ध है। ट्रकों को कोलकाता में कुछ निश्चित तरीकों से लोड जाएगा। यदि बीएल कंसाइन के परिसर में पहुंचने पर यह स्पष्ट है कि माल को रास्ते में संभाला गया है और/अन्य सामग्री को बाद में लादा और उतारा किया गया है/ ट्रक में अभी भी मौजूद है, तो बिंदु संख्या 7.1.8 में उल्लिखित जुर्माना लगाया जाएगा।
- 7.1.10 बीएल पारगमन बीमा को कवर करेगी।
- 7.1.11 उद्धृत की गई दरें निविदा की देय तिथि से 120 दिनों तक की स्वीकृति के लिए मान्य होंगी और विपरीत नीलामी के माध्यम से उद्धृत अंतिम दरें विपरीत नीलामी की तारीख से 60 दिनों के लिए मान्य होंगी।
- 7.1.12 विपरीत नीलामी की तिथि को आईओसीएल कोलकाता की बेंचमार्क डीजल दर को डीजल वृद्धि/कमी गणना के लिए पहली संदर्भ दर माना जाएगा।
- 7.1.13 कंपनी किसी भी कारण से माल उतारने के गंतव्यों पर ट्रकों के चक्कर लगाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
- 7.1.14 बीएल प्लांट या कंसाइनरी परिसर में किसी भी कारण से देरी के लिए कोई विलंब शुल्क विचार योग्य/देय नहीं माना जाएगा।

8.0 चयन का आधार

- 8.1 ट्रांसपोर्टरों के चयन और प्रत्येक बाजार के लिए आदेश को विभाजित करने का आधार निम्नानुसार होगा:

क) बोलीदाताओं की ग्रेडिंग के लिए प्रारंभिक ऑनलाइन मूल्य बोलियों का उपयोग किया जाएगा। बोलीदाताओं को "अनंतिम" एल-1, एल-2 आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

ख) संचारित आरंभिक बोली मूल्य के साथ विपरीत नीलामी शुरू की जाएगी

ग) विपरीत नीलामी परिणाम के आधार पर बोली लगाने वालों को अंतिम एल-1, एल-2, एल-3 आदि में वर्गीकृत किया जाएगा।

8.2 अंतिम ग्रेडिंग निम्नानुसार की जाएगी:

- a) यदि विपरीत नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है, तो अनंतिम वर्गीकरण को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- b) विपरीत नीलामी के माध्यम से प्राप्त की गई बोली, एल-1, एल-2, एल-3 आदि की अंतिम ग्रेडिंग को विपरीत नीलामी के अनुसार माना जाएगा।
- c) यदि विपरीत नीलामी "अनंतिम" एल-1 के समान है, तो अनंतिम ग्रेडिंग को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- d) यदि विपरीत नीलामी में "अंतिम" एल-1 "अनंतिम" एल-1 से अलग पक्ष है, तो ग्रेडिंग को संशोधित किया जाएगा, विपरीत नीलामी का एल-1 अंतिम एल-1 होगा, विपरीत नीलामी का एल-2 अंतिम एल-2 और इसी क्रम से होगा [पूरी स्थिति विपरीत नीलामी परिणाम के अनुसार होगी]।

8.3 आदेशों को निम्नलिखित अनुपात में विभाजित किया जाएगा:

- i) उपलब्ध कुल बाजार मूल्य का 60% एल-1 बोलीदाता को सौंपा जाएगा।
- ii) उपलब्ध कुल बाजार मूल्य का 40% एल-2 बोलीदाता को सौंपा जाएगा बशर्ते कि वह एल-1 के मूल्य से मेल खाये।
- iii) एमएसई बाजार मूल्य को आदेश मूल्य पर पहुंचने के लिए कुल बाजार मूल्य से सही किया जाएगा जिसे उपरोक्त विस्तार 60:40 अनुपात में विभाजित किया जाना है।

टिप्पणी: उपरोक्त अनुसार, बाजार मूल्य के हिस्से को दी गई मूल्य अनुसूची में यात्राओं की अनुमानित संख्या में परिवर्तित किया जाएगा।

टिप्पणी: इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि एल-2 के दरों के अंतिम एल-1 के साथ मेल खाने पर ही उपरोक्त तरीके से आदेश दिए जाएंगे। अगर एल-2 की दर मेल नहीं खाती है, तो मेल खाती कीमत का प्रस्ताव एल-3 और उसके बाद एल-4 को दिया जाएगा। यदि कोई भी पक्ष एल-1 से मेल खाने को तैयार नहीं है, तो बीएल अपने विवेकाधीन स्थान या तो 100% आदेश एल-1 को दे सकती है या एल-2 के साथ मोलभाव कर सर्वोत्तम दर पा सकती है और उन पर आदेश का अनुपात उनको दे सकती है।

9 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए प्रावधान:

योग्यता मानदंडों को पूरा करने के अधीन एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार एमएसई विक्रेताओं को अर्हता प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे।

क. अपने पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करने और योग्यता मानदंडों को पूरा करने पर योग्य पंजीकृत एमएसई विक्रेताओं को बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

ख. निविदाओं में मूल्य कोटेशन के लिए वरीयता: एल-1 + 15% के मूल्य बैंड के भीतर मूल्य का उद्धरण देने वाले पात्र सूक्ष्म और लघु उद्योग, वे दर को एल-1 के मूल्य के समान लाकर ऐसी स्थिति में एक हिस्से की आपूर्ति करने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, जहां एल-1 की कीमत किसी सूक्ष्म और लघु उद्यम से अलग हो। इस तरह के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संबंधित संयंत्रों में विशेष ग्रेड (ग्रेडों)/मद (मदों) के लिए कुल निविदा मात्रा के 25 प्रतिशत की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी, जिसे निविदा प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त माना जाता है। आगे यह ध्यान रखा जा सकता है कि यदि एक से अधिक ऐसे विधिवत योग्य एमएसई बोलीदाताओं की दर गैर-एमएसई एल-1 मूल्य से मेल खाते हैं, तो निविदा की मात्रा का 25% एल-1 से मेल खाने वालों एमएसई के बीच समान रूप से विभाजित हो जाएगा। यदि एक से अधिक एमएसई

बोलीदाताओं ने उक्त मूल्य बैंड (एल-1 + 15%) में दर उद्धृत की है, तो एमएसई बोलीदाताओं से एल-1 की बोली से उनके दर का मिलान करने के लिए उनकी स्वीकृति मांगने के लिए निविदादाता द्वारा ऐसे सभी बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।"

उपरोक्त लाभों का लाभ उठाने के लिए एमएसई के लिए योग्यता मानदंड:

- क. एमएसई विक्रेता को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि मंत्रालय के परिपत्र संख्या एफ: सं 21 (17) / 2016 दिनांक 06.04.18 के अनुसार यूएम सं. को सीपीपी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि इस निविदा के अंतर्गत उन्हें एमएसई विक्रेता माना जा सके। योग्य और पंजीकृत एमएसई विक्रेताओं को अपने पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करने के अधीन, बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल [सीपीपी] पर उद्योग आधार ज्ञापन [यूएम नंबर] की घोषणा अनिवार्य है। एमएसई विक्रेताओं को संयंत्र और मशीनों या उपकरण में निवेश के लिए एक प्रमाण पत्र (एक प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। अंतिम रूप से प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और लाभ व हानि खाते की अनुपस्थिति में, विगत वर्ष के कारोबार की परीक्षित बैलेंस शीट और लाभ व हानि खाता जमा करना आवश्यक है। पिछले वित्तीय वर्ष का कारोबार खाता एक प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- ख. उपर्युक्त प्रावधान एमएसई द्वारा प्रदान की गई केवल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए हैं, न कि उनके द्वारा की गई किसी भी व्यापारिक गतिविधियों के लिए। निविदाकर्ता द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक स्व-प्रमाणीकरण कि उसके द्वारा निविदाकृत वस्तु का निर्माण या सेवा की जाती है और निविदाकृत मद के लिए कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जाती है। बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड को उसे सत्यापित करने का अधिकार है।
- ग. एमएसई के सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार लाभ प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त करने के लिए उपरोक्त सभी विवरण अनिवार्य हैं।

बोलीदाता को एमएसई के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति के अनुसार लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अपनी एमएसई स्थिति प्रस्तुत करने से पहले "एमएसई की नई परिभाषा" के संबंध में 1, जून 2020 की निम्नलिखित सरकारी अधिसूचना पढ़ लेनी चाहिए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2020

का.आ. 1702(अ).-‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (9) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 30 सितम्बर, 2006 के सां. आ. 1642 (ई) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय की दिनांक 29 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना के अधिक्रमण में तथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्य अथवा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर केंद्र सरकार एतद्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अधिसूचित करती है, नामतः:-

- i. सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है;
- ii. लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है;

यह अधिसूचना 01.07.2020 से लागू होगी।

9.1 मेक इन इंडिया नीति के लिए वरीयता - निविदाकृत वस्तुओं में स्थानीय सामग्री (क्रम संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II) दिनांक 04.06.2020

उद्योग और आंतरिक व्यापार का प्रचार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के मददेनजर, रुपये से कम मूल्य के लिए खरीद के मामले में। 10 करोड़, आपको निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करने और अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपने पत्र सिर पर प्रमाण पत्र प्रदान करने और रुपये से अधिक मूल्य के लिए खरीद के मामले में आवश्यक हैं। 10 करोड़, आपको कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक (कंपनियों के मामले में) या एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से या सर्टिफाइड अकाउंटेंट (कंपनियों के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में) को प्रैक्टिस देने का प्रतिशत देने की आवश्यकता होती है। आइटम की स्थानीय सामग्री। आपका ध्यान उपरोक्त घोषित आदेश के पैरा 9 (एफ) और (जी) की ओर भी है, झूठी घोषणा के मामले में कार्रवाई को निर्धारित करते हुए।

वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता - का अर्थ एक ऐसा आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता है, जिसके सामान, सेवाओं या खरीद के लिए प्रस्तावित किए गए कार्यों में स्थानीय सामग्री 50% के बराबर या इससे अधिक है, जैसा कि इस आदेश के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

वर्ग- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता - का अर्थ एक ऐसा आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता है, जिसकी वस्तुओं, सेवाओं या खरीद के लिए प्रस्तावित किए गए कार्यों में स्थानीय सामग्री 20% से अधिक लेकिन 50% से कम है, जैसा कि इस आदेश के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

विक्रेता को ध्यान देना चाहिए कि केवल "वर्ग- I स्थानीय सेवा प्रदाता" इस निविदा में बोली लगाने के लिए पात्र हैं।

उपरोक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर, आपको निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और मद की स्थानीय सामग्री के प्रतिशत के बारे में कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक या चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र प्रदान करना है। आपका ध्यान उपरोक्त उल्लिखित आदेश के अनुच्छेद 9 (च) और (छ) की ओर भी होना आवश्यक है, जो झूठी घोषणा के मामले में की जाने वाली कार्रवाई को निर्धारित करता है।

स्थानीय सामग्री का सत्यापन

1. गलत घोषणाएं सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 175 (1) (i) (ज) के अंतर्गत वफादारी संहिता का उल्लंघन होंगी, जिसके लिए एक बोलीदाता या उसके उत्तराधिकारियों को नियम 151 के (iii) इस तरह के अन्य कार्यों के साथ सामान्य वित्तीय नियमों के रूप में कानून के अंतर्गत अनुमत अनुसार दो साल तक के लिए निरस्त किया जा सकता है।
2. जो आपूर्तिकर्ता इस आदेश के उल्लंघन के लिए किसी भी खरीद इकाई द्वारा अनधिकृत कर दिया गया है, उसे इस आदेश के अंतर्गत निर्धारित खरीदे जाने की अवधि के लिए, किसी अन्य खरीद संस्था द्वारा वरीयता के लिए पात्रता नहीं मिलेगी। ऐसी अन्य खरीद संस्थाओं के लिए यह प्रतिबंध उस तारीख से संभावित रूप से प्रभावी होगा, जिस दिन यह नीचे के अनुच्छेद (ज) के अंतर्गत उल्लिखित अनुसार अन्य खरीद संस्थाओं की जानकारी में आता है, ।

क्रम सं	सेवाएँ विवरण	आपकी सेवा में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत
	एफटीएल के माध्यम से परिवहन	

10.0 वृद्धि / कमी

- 10.1 डीजल मूल्य के संदर्भित डीजल दर से 3.00 रु. / लीटर अधिक होने पर वृद्धि/कमी देय होगा। (उदाहरण के लिए, यदि विपरीत नीलामी की तिथि पर डीजल की दर, 70 है, तो मूल्य वृद्धि और कमी को केवल तभी माना जाएगा, जब पहली बार डीजल की दर 73/67 हो या दूसरे मामले में जब डीजल दर ₹76/70/64 (यानी एक बार जब डीजल की कीमत में 3.00 रुपए की वृद्धि/कमी हो जाती है तभी वृद्धि/कमी लागू होगा और बढ़े/घटे हुए डीजल मूल्य के आधार पर वृद्धि कमी को निष्पादित किया जाएगा, आगे किसी भी वृद्धि के लिए नए संदर्भ डीजल मूल्य के रूप में माना जाएगा।)

10.2 आईओसीएल द्वारा कोलकाता में विपरीत नीलामी की तारीख को लिया गया डीजल का संदर्भ मूल्य के लिए "डीजल की दर" होगा। निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार वृद्धि/कमी को निकटतम रूप में समायोजित किया जाएगा:

$$\left. \begin{array}{l} \text{अनुबंध की दर में प्रयोज्य} \\ \text{कीमत का अंतर} \end{array} \right\} = \frac{0.25 \times \text{मूल अनुबंध दर} \times \text{डीजल में वृद्धि/कमी}}{\text{डीजल का संदर्भ मूल्य}}$$

अनुबंध मूल्य ₹ 10,000 [डीजल का संदर्भ मूल्य- ₹ 70/लीटर]	डीजल दर (₹ / लीटर)	उपरोक्त फॉर्मूले के अनुसार दर	नया अनुबंध दर ₹
	67.20	कमी के बाद से शून्य < 3	10,000
	72.90	वृद्धि के बाद से शून्य < 3	10,000
	73.10	(+) 110.71	10,111*
	75.00	वृद्धि के बाद से शून्य <3	10,111*
	66.75	(-) 226.78	9,773*
			निकटतम रूप में पूर्णांकित

11.0 लागू कर

11.1 लागू होने पर सीधे कर प्राधिकरण को विपरीत प्रभार तंत्र (आरसीएम) के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान प्रथा के अनुसार, अनुबंध की अवधि के दौरान संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, परिवर्तन किया जाएगा।

11.2 सरकारी टैक्स जैसे टोल टैक्स आदि का भुगतान ट्रांसपोर्टर को करना होगा। यदि कोई नई सरकारी लेवी देय हो जाती है, तो मूल रसीद जमा करने के पर उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। हालाँकि, किसी भी रूप में कोई आकस्मिक शुल्क देय नहीं होगा।

12.0 पारगमन बीमा

12.1 ट्रांजिट बीमा का वहन बीएल द्वारा किया जाएगा। हालांकि, ट्रांसपोर्टर्स को ऐसी घटना घटने के 30 दिनों के भीतर सर्वेक्षण करने, रास्ते के दावों के लिए एफआईआर दर्ज करने, किसी भी कम सुपुर्दगी/क्षति के लिए कमी/क्षति प्रमाण पत्र जारी करने या ग्राहक की तरफ से ग्राहक के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। ऐसे मामलों के लिए ट्रांसपोर्टर के प्रासंगिक बिल को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही निपटाया जाएगा। ट्रांसपोर्टर को बीमा कंपनी से दावा करने में बीएल को सक्षम करने के लिए बीमा औपचारिकताओं का अनुपालन करना होगा ताकि पारगमन में रिसाव/चोरी के कारण किसी भी तरह उत्पादों की हानि या नुकसान न हो सके। यदि ट्रांसपोर्टर बीमा कंपनी द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो बीएल ट्रांसपोर्टर से नुकसान के बराबर मूल्य वसूल करेगा। ट्रांसपोर्टर के ट्रक/कर्मियों द्वारा बीएल के परिसर और/या ग्राहक के यहाँ होने वाली किसी भी क्षति/तीक्ष्णता की भरपाई भी ट्रांसपोर्टर को करनी होगी।

13.0 सुपुर्दगी चालान (चालानों)

13.1 ट्रांसपोर्टर बीएल से ट्रांसपोर्टर्स [डीएफटी] की प्रति, इनवाँइस की प्रति, रोड परमिट या अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों तथा अधिकारियों द्वारा चेक पोस्ट पर सत्यापन/निकासी के लिए प्रतिलिपि प्राप्त करने और कंसाइनी को सौंपने के लिए जिम्मेदार होगा। ट्रांसपोर्टर की सुरक्षा में रहने के दौरान डीएफटी प्रति की हानि/ क्षति के कारण बीएल को होने वाला कोई भी वित्तीय नुकसान ट्रांसपोर्टर से वसूल किया जाएगा।

13.2 इस्पात संयंत्रों और अन्य समान ग्राहकों को प्रेषण के लिए कंसाइनी चालान/खेप टिप्पणी पर प्राप्त सटीक मात्रा का समर्थन नहीं किया जाता है। वे ड्राइवरों को "टिप्पणी और गुणवत्ता जांच के लिए टिप्पणी" के साथ लिए रसीद जारी करते हैं। ट्रांसपोर्टर बाद में कंसाइनी द्वारा सूचित खेप की किसी भी कमी/क्षति के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

- 13.3 हमारे कई लदान स्टैकिंग सामग्री के लिए उपयोग किए जाने वाले लकड़ी के गठठरों के साथ होंगे। हम कंसाइनियों को सूचित करेंगे कि ट्रक में कितने प्लाई हैं। वाहन को प्लाइयों के साथ कंसाइनी तक पहुंचना चाहिए (उनकी स्थिति चाहे जो भी हो: टूटी या साबुत) । यदि लकड़ी की खेप कंसाइनी तक नहीं पहुंचती है तो बीएल प्रति प्लाई 500 रुपए की कटौती करेगा।
- 13.4 सामग्री की सुपुर्दगी में हुई देरी के लिए प्रति दिन 1000 रुपए का जुर्माना होगा। नीचे दी गई तालिका सामग्री को पहुँचाने के लिए अनुमत अधिकतम दिनों को दर्शाती है। प्रसव सुपुर्दगी के लिए अनुमति दिए गए समय/दिन हमारे कारखाने से प्रेषण का दिन और सुपुर्दगी की तारीख के दोनों दिन को नहीं गिनेगी। सुपुर्दगी के लिए अनुमत दिन निम्नानुसार हैं;

कोलकाता से दूरी किमी में	सुपुर्दगी में नीचे दिए गए दिनों से परे देरी के लिए प्रति दिन 1000 रुपए का जुर्माना
कोलकाता से 250 किलोमीटर से भी कम	2 दिन
250 से ऊपर लेकिन 500 किमी से कम	3 दिन
500 से ऊपर लेकिन 1000 किमी से कम	4 दिन
1000 से ऊपर लेकिन 1500 किमी से कम	6 दिन
1500 से ऊपर लेकिन 2000 किमी से कम	7 दिन
2000 से ऊपर लेकिन 2500 किमी से कम	9 दिन
2500 किमी से ऊपर	12 दिन

इन राज्यों में पहाड़ी इलाकों के कारण हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और असम के गंतव्यों के लिए दो अतिरिक्त दिनों की अनुमति दी जाएगी।

'गूगल रोड मैप' का उपयोग करके कोलकाता से सबसे छोटे मोटर मार्ग द्वारा दूरी निर्धारित की जाएगी। इस जुर्माना का आरोपण इस निविदा के खंड 19 में बताई गई "अप्रत्याशित स्थिति" की प्रासंगिक धाराओं के अधीन होगा। यदि कंसाइनी माल को उतारने में असमर्थ है तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह जुर्माना "दो बिंदु/तीन बिंदु" वितरण पर लागू नहीं होगा।

14.0 भुगतान की शर्तें

- 14.1 सहायक दस्तावेजों के साथ बिल जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जिसमें ग्राहक द्वारा बिना किसी नकारात्मक टिप्पणी के विधिवत स्वीकार/प्राप्त की गई और विधिवत मुहर लगाई एलआर की प्रति शामिल है। प्राप्त एलआर पर उल्लिखित कमी/क्षति ट्रांसपोर्टर से वसूली जाएगी।
- 14.2 बीएल के कारखाने में लदान के दौरान किए गए वजन के अनुसार अतिरिक्त सकल वजन के लिए भुगतान किया जाएगा
- 14.3 लोड की गई सामग्री के वास्तविक वजन के कुछ भी होने के बावजूद 'ट्रक क्षमता' के आधार पर (जिसके लिए वाहन बुलाया जाता है) भुगतान किया जाएगा। हालांकि, यदि लोड की गई वास्तविक मात्रा वाहन की निर्दिष्ट क्षमता से अधिक है तो ट्रांसपोर्टर को अतिरिक्त रूप से अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।
- 14.4 सभी भुगतान अधिमानतः आरटीजीएस के माध्यम से किए जाने हैं और तदनुसार सफल ट्रांसपोर्टर को एलओआई/पीओ की जारी करने के दिन से 7 (सात) कार्यदिवस के भीतर बीएल प्रारूप के अनुसार सभी बैंक विवरण को जमा करने होंगे।

15.0 संशोधन / फेरों की संख्या का दुबारा आवंटन

15.1 प्रत्येक गंतव्य के लिए उल्लिखित यात्राओं की संख्या केवल सांकेतिक/अनुमानित है और संचालन के दौरान यह बीएल की व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर बिना किसी सीमा के बदल सकती है। संचालन के दौरान यात्राओं की संख्या में संशोधन किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टर/ ठकेदार बीएल की आवश्यकता के अनुसार यात्रा की संशोधित संख्या (वृद्धि या कमी) को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे। हालाँकि, अनुबंध स्थान की संख्या के बावजूद दिए गए आदेश के कुल मूल्य तक सीमित रहेगा। कुल आदेश मूल्य से अधिक की अतिरिक्त यात्राएं एकतरफा ट्रांसपोर्टर पर नहीं लागू होंगी।

16.0 नए गंतव्य

16.1 संचालन के दौरान, गंतव्य सूची में नए गंतव्य जोड़े जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर ऐसे किसी भी नए गंतव्य के लिए सेवा प्रदान करने पर बाध्य होंगे। नए गंतव्यों के लिए दर की गणना निम्नलिखित खंडों के अनुसार की जाएगी:

- मूल्य अनुसूची (अनुबंध I और II) में उल्लिखित सभी स्थलों को संदर्भ गंतव्य माना जाएगा।
- नए गंतव्यों के लिए दर की गणना निकटतम संदर्भ गंतव्य के संबंध में की जाएगी। निकटतम संदर्भ गंतव्य की तुलना में नए गंतव्य के लिए परिवहन दूरी में वृद्धि/कमी गूगल रोड मैप से कोलकाता से सबसे छोटे मोटर मार्ग द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- नए गंतव्य के लिए अंतर की राशि प्रति किलोमीटर के हिसाब से अंतिम दूरी के सबसे कम दूरी द्वारा संदर्भ गंतव्य के उद्धृत मूल्य को विभाजित करने के बाद आए दर के आधार पर दर से गुणा की गई परिवहन दूरी की वृद्धि/कमी के बराबर होगी।

हालाँकि, यह केवल तभी लागू होगा जब नया गंतव्य और संदर्भ गंतव्य एक ही स्थिति में हों। यदि संदर्भ गंतव्य और नए गंतव्य अलग-अलग अवस्था में होते हैं तो ट्रांसपोर्टर को उपरोक्त खंड के अनुसार दर स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी।

- d. नए गंतव्य के लिए दर निकटतम संदर्भ गंतव्य के परिवहन दूरी में क्रमशः वृद्धि/कमी के लिए अंतर राशि को घटाने के बाद मिले दर के बराबर होगी।
- e. नए गंतव्यों के अलावा, संचालन के दौरान मार्ग में एक से अधिक कंसाइनी/गंतव्य को सामग्री पहुंचाने की भी आवश्यकता हो सकती है। इस तरह की कई प्रदायगियों के लिए सबसे दूर के गंतव्य के लिए सामान्य भाड़ा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों को प्रति-खेप के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाएगा, बशर्तेकि कई कंसाइनी एक ही मार्ग पर हों और ट्रांसपोर्टर को ऐसी सुपुर्दगी के लिए 50 किमी (25 किमी जाने और आने) से अधिक यात्रा नहीं करनी पड़ती है। यदि कोलकाता से सबसे दूर का गंतव्य 750 किमी से कम है, तो अतिरिक्त / अतिरिक्त शुल्क रु. 2500 / - प्रति खेप होगा। यदि यह 750 किमी से अधिक है, लेकिन 1500 किमी से अधिक नहीं है, तो देय अतिरिक्त/अधिक राशि रु. 3000 / प्रति खेप या प्रति अतिरिक्त सुपुर्दगी होगी। 1500 किमी से अधिक दूर के गंतव्य के लिए, रास्ते के प्रत्येक अतिरिक्त बिंदु के लिए रु. 4000/-, अतिरिक्त/अधिक शुल्क देय होगा।

17.0 ट्रकों/कंटेनरों को न लगाना और जोखिम खरीदारी

17.1 ट्रांसपोर्टरों को ट्रकों/कंटेनरों को तुरंत (अधिमानतः बुलाने के 12 घंटों के भीतर) साफ और शुष्क स्थिति में प्रस्तुत करना की आवश्यकता होगी। ट्रांसपोर्टर बीएल के परिसर में काम के दिनों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच और आवश्यकता पड़ने पर छुट्टियों में ट्रक रख सकेंगे। यदि वाहन दोपहर 12.00 बजे के बाद पहुँचते हैं, तो बीएल, अपने विवेकाधिकार पर, सामग्रियों को लोड कर सकती है या ट्रक को वापसी शुल्क की देयता के बिना वापस कर सकते हैं। प्रेषण के लिए निर्धारित सामग्री की मात्रा को लोड करने के लिए ट्रांसपोर्टरों को दैनिक माँग के अनुसार ट्रक प्रदान करना होगा। यदि ट्रांसपोर्टर माँग की तारीख के 2 कार्य दिवसों के बाद भी बीएल की माँग के अनुसार ट्रकों/कंटेनरों को भेजने में विफल रहता है, तो बीएल बिना किसी संदर्भ के ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी अन्य ट्रांसपोर्टर को शामिल कर माल के परिवहन के लिए स्वतंत्र है। यदि कोई ट्रांसपोर्टर एक महीने में

तीन बार ट्रकों को भेजने में विफल रहता है, तो बीएल असफल ट्रांसपोर्टर को आगे कोई भी सूचना दिए बिना अपने विवेक से, बाजार की शेष राशि के आदेश उस बोलीदाता को स्थानांतरित कर सकती है जो पहले से ही उस बाजार या किसी अन्य बाजार को बोलीदाता के साथ साझा कर रहा है और इससे मेल खाती दर देने के लिए सहमत हैं। ऐसा ट्रांसपोर्टर उसके लिए आवंटित अन्य बाजारों पर भी अधिकार खो सकता है। वह भविष्य में भी हमारी बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अस्वीकृत हो सकता है।

18.0 अनुबंध की समाप्ति

18.1 असंतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में, बीएल बिना कोई सूचना दिए अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार रखती है। इस स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

19.0 अप्रत्याशित घटना

19.1 निम्नलिखित के परिणाम स्वरूप इस समझौते को पूरा करने में पूरी तरह से या आंशिक रूप से सफल न होने या उसमें किसी भी देरी के लिए कंपनी और ट्रांसपोर्टर कोई उत्तरदायी नहीं होगा:

- घोषित हड़ताल/बंद
- तालाबंदी/लॉक डाउन
- प्राकृतिक आपदाएं
- किसी भी सरकार या सरकारी प्राधिकरण के निर्णय।
- क्रांति
- युद्ध
- राज्य के दुश्मनों के कार्य।

•दंगे

•सर्वव्यापी महामारी

उपरोक्त के अलावा किसी भी कारण को अप्रत्याशित स्थिति नहीं माना जाएगा।

19.2 अप्रत्याशित स्थिति के कारण को जैसे ही हटाया जाता है, जिस पक्ष का दायित्व प्रभावित हुआ है, वह इस तरह के अन्य बंद के बारे में अधिसूचित करेगा और नोटिस के माध्यम से दूसरे पक्ष को सूचित करेगा कि इस तरह की प्रभावित गतिविधियों में इनके कारण वास्तविक देरी हुई है। ऐसी कोई भी घटना, जहां भी होती है, प्रभावित पक्षों के दावे को सही ठहराएगी बशर्ते कि यह अप्रत्याशित स्थिति पक्षों को संविदात्मक दायित्व निभाने से रोकती है, प्रभावित या देरी करती है।

20.0 सामान्य

20.1 ट्रांसपोर्टर द्वारा काम पर रखे श्रमिक कारखाने/सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और केवल अधिकृत गेट पास से कारखाने के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रत्येक मामले में ट्रांसपोर्टर अपने कर्मचारियों, ठेकेदार या लोगों के अच्छे व्यवहार और आचरण आदि के लिए जिम्मेदार होता है। इस कारण से ग्राहक पर जो भी जुर्माना या दंड लगाया जाएगा उसे ट्रांसपोर्टर से वसूला जाएगा।

ट्रकों के चालक और सहायकों सहित सभी कामगारों को फैक्ट्री परिसर के अंदर बीएल के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। उन्हें सुरक्षा जूते, सख्त टोपी पहननी चाहिए और पतलून और शर्ट जैसी सामान्य पोशाक पहननी चाहिए। फैक्ट्री परिसर के अंदर रहते हुए उन्हें लुंगी, धोती, गंजी आदि जैसी ढीली पोशाक नहीं पहननी चाहिए।

20.2 जब तक विशेष रूप से बीएल से मांग न की जाए और उसकी सहमति प्राप्त नहीं हुई हो तब तक उप-अनुबंध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी

20.3. ट्रांसपोर्टर के पास कोलकाता में कार्यालय और परिचालन मामलों पर बातचीत के लिए टेलीफोन/मोबाइल के साथ अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए।

ट्रांसपोर्टरों को सामग्री वितरित करने से पहले बीएल द्वारा बताए गए कुछ गंतव्यों/स्थान पर ग्राहक के स्थानीय प्रतिनिधि से संपर्क करना होगा।

- 20.4 अधिमानतः सभी स्थानों के लिए सुपर्दगी के लिए ट्रक की स्थिति/अवस्था का पता लगाने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- 20.5 परिवहन अनुबंध केवल लॉरी/कंटेनर बनाए गए ट्रक द्वारा होता है। परिवहन की कोई अन्य विधि जैसे हाथ गाड़ी/रेल आदि की अनुमति नहीं है।
- 20.6 कंपनी बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- 20.7 **प्रत्येक वाहन के साथ एक क्लीनर रखा जाना चाहिए।** जब भी वाहन बिना क्लीनर/सहायक के पहुँचेगा, तो सुरक्षा द्वार पर इसे अंकित किया जाएगा। बिना क्लीनर / सहायक के बीएल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन के लिए 1000/- एक हजार(रुपए) की कटौती की जाएगी। बीएल के गेट पर सुरक्षा गार्ड वाहनों की फिटनेस की भी जांच करेंगे। ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रदान किए गए सभी वाहन, स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए चाहे जैसे हों, उनका रखरखाव की स्थिति में होना आवश्यक है (अच्छी तरह से अच्छा तिरपाल, क्रॉस कोण और रबर पैड के साथ ढके गए) और वे परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 'सुरक्षा और फिटनेस' के सभी मापदंडों को पूरा करेंगे। ट्रक में उचित थ्रेड वाले टायर होने चाहिए और इसकी अन्य सुविधाएं जैसे ब्रेक, हेडलाइट, बैकलाइट, साइड-मिरर, हॉर्न, विपरीत-हॉर्न, हैंड-ब्रेक आदि को ठीक से काम करता पाया जाना चाहिए। ट्रक का प्लेटफॉर्म धूल, जंग, डेंट, तेज कोनों और क्षेत्रों और असमान सतहों से मुक्त होना चाहिए। एक वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। ट्रांसपोर्टर की ओर से विफलता (कारखाने के परिसर के भीतर की क्षति सहित) के कारण हुई किसी भी हानि/देरी को पूर्ण रूप से ट्रांसपोर्टर के बिल से वसूला किया जाएगा।
- 20.8 कृपया ध्यान दें कि किसी भी स्तर पर बोली लगाने वाले और कंपनी के बीच हितों का टकराव होने पर किसी भी निविदाकार की बोलियों को अस्वीकृत किया जा सकता है।

21.0 **मध्यस्थता**

21.1 **विवाद समाधान, शासी कानून और क्षेत्राधिकार**

इस समझौते, और इससे या इसके विषय से उत्पन्न या इसके संबंध में उपजे किसी भी विवाद या दावे (गैर-संविदात्मक विवादों या दावों सहित) को भारत के कानूनों के अनुसार शासित और संचालित किया जाएगा।

अपरिभाषित: इस समझौते के निर्वाचन अथवा इस समझौते से उपजे अथवा इसके संबंध में अथवा पक्षकारों के इसके तहत अधिकारों, कर्तव्यों या देनदारियों के रूप में, सभी विवादों, मतभेदों और किसी भी प्रकार के प्रश्नों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता की प्रक्रिया, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित) और उसके अंतर्गत समय-समय पर लागू नियमों के अनुरूप होगी। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। पंचाट का स्थान कोलकाता होगा। पंच की फीस समान रूप से देय होगी। एकल मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थों के पैनल से की जाएगी, जो बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (समझौते के दूसरे पक्षकार को) प्रदान करेगी और वह सकारण पंचाट करेगा।

शासी कानून और क्षेत्राधिकार: इस समझौते को प्रवृत्त करने की वैधता और निष्पादन सभी प्रकार से भारत गणराज्य के कानूनों द्वारा शासित होगी। इस समझौते अथवा इसके किसी भी भाग ("कार्यवाही") अथवा इसके अनुसरण में किसी समझौते को प्रवृत्त करने के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही या कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रत्येक पक्षकार, उपरोक्त खंड के अध्यक्ष, पक्षकार अटल रूप से कोलकाता स्थित न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत करती हैं और स्थान के आधार पर या इस आधार पर कि कार्यवाही एक असुविधाजनक स्थान पर को गई है, ऐसे न्यायालयों में कार्यवाही के लिए किसी भी आपत्ति को अस्वीकार कर किया जाएगा। भारत सरकार को ऐसे किसी विवाद में पक्षकार नहीं बनाया जाएगा।

इसके द्वारा पक्षकार किसी भी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी को पंचाट के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अवलम्बन के अपने अधिकार को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक कि इस प्रकार की छूट वैध रूप से लागू कानून के अंतर्गत न की जाए।

22.0 निविदा का निरस्तीकरण

किसी भी अप्रत्याशित/अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या बीएल के पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार निविदा प्रसंस्करण के किसी भी स्तर पर किसी अन्य कारण से निविदा रद्द की जा सकती है और बीएल ऐसा करने के लिए आवेदकों को कोई कारण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

23.0 जीएसटी औपचारिकताओं और विनियमों का अनुपालन

बोलीदाता यह निश्चित करेगा कि इस समझौते/अनुबंध में शामिल किए गए सभी सामान, सभी लागू कानूनों, विनियमों, श्रम समझौतों, समय-समय पर लागू किए गए काम करने की शर्तों और तकनीकी कोड और आवश्यकताओं के अनुसार सख्त अनुपालन में उत्पादित किए, बेचे, भेजे और वितरित किए जाएंगे। विक्रेता ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित और वितरित करेगा जो इस प्रभाव या इस तरह के अनुपालन का प्रमाण देने के लिए आवश्यक हो सकता है।

विक्रेता किए गए जीएसटी भुगतान के लिए चालान जारी करेगा ताकि लागू होने पर बीएल द्वारा जीएसटी क्रेडिट के रूप में बराबर राशि का लाभ उठाया जा सके। विक्रेता/विक्रेता के नामित ट्रांसपोर्टर खेप की सुपुर्दगी के समय कंपनी को जीएसटी क्रेडिट और सड़क परमिट प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए जीएसटी चालान की ट्रांसपोर्टर की प्रति सौंपना सुनिश्चित करेंगे। सभी अप्रयुक्त/समाप्त सड़क परमिट जारी करने वाली इकाई को वापस कर दिए जाएंगे।

"विक्रेता को अनिवार्य रूप से जीएसटी कानून के सभी प्रावधानों का पालन करना चाहिए और जीएसटी कानून के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में किसी भी चूक की स्थिति में, बामर लॉरी विक्रेता को भुगतान न करने/भुगतान को रोकने/ काली सूची में डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करेगी।"

24.0 योग्यता-पूर्व बोली प्रस्तुत करना और संपर्क व्यक्ति

24.1 मूल्य-बोली केवल ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी।

24.2 उपरोक्त निविदा सूचना में कोई भी संशोधन/परिशिष्ट केवल कंपनी की वेबसाइट www.balmerlawrie.com पर अपलोड किया जाएगा। इच्छुक विक्रेताओं को अद्यतन की जनकारी के लिए नियमित रूप से इस वेबसाइट को देखना चाहिए या अधोहस्ताक्षरी सेटेलीफोन पर पूछताछ करनी चाहिए।

24.3 पात्रता-पूर्व बोली के साथ धारा सं. 3.0 (अनुबंध III), निविदा के नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाकर निर्धारित प्रारूप में निविदा दस्तावेज तकनीकी बोली में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर अपलोड किए

जा सकते हैं और उन्हें विधिवत रूप से 22.09.2020 की नियत तारीख के भीतर "निविदा संख्या जीएलके / टीई20 /088 दिनांकित' 02.09.2020 "मूल्य रहित बोली" लिखे एक सीलबंद लिफाफे में जमा करना होगा।

24.4 मूल्य केवल मूल्य बोली में अपलोड किया जाना चाहिए। पूर्व-योग्यता बोली के साथ अपलोड की गई या पूर्व-योग्यता दस्तावेजों के साथ सीलबंद लिफाफे में प्राप्त मूल्य बोली अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।

शुभदीप कर्मकर

कनिष्ठ अधिकारी [भंडार एवं क्रय]

बामर लॉरी & कंपनी लिमिटेड

एसबीयू: ग्रीसेस & लुब्रिकेंट्स

पी-43, हाइड रोड एक्सटेंशन,

कोलकाता- 700 088

दूरभाष : 033 – 2450 0133

फैक्स नं. : 033 - 2439-5160 / 2277

ई-मेल : karmakar.sd@balmerlawrie.com

निविदा सूचना सं: जीएलके / टीई20 /088, दिनांक: 02.09.2020

पात्रता-पूर्व बोली

1.0 कंपनी का विवरण:

1.1 कंपनी का प्रकार: (भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड/सार्वजनिक लिमिटेड। निगमन का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

1.2 निगमन का वर्ष:

1.3 पूरा पता :

1.4 फ़ोन:

1.5 फ़ैक्स:

1.6 ईमेल:

1.7 संपर्क व्यक्ति का नाम:

1.7.1 मोबाइल नं.:

2.0 प्रस्तावित की गई परिवहन सुविधाएं:

2.1 स्वामित्व वाले वाहन:

क्र.सं.	पंजीकरण सं	मेक	क्षमता	उत्पादन का वर्ष	टिप्पणियाँ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

टिप्पणी: यदि आवश्यक हो तो कृपया अलग से पन्ने संलग्न करें। (पंजीकरण दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें)

2.2 सहायक कंपनियों के वाहन:

क्रम सं.	सहयोगी कंपनियों का नाम और पता	स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या	संगठन की प्रकृति

टिप्पणी: कृपया संगठन के प्रमाण संलग्न करें - सहयोगी कंपनियों के पत्र, और उनके स्वामित्व वाले परिवहन उपकरणों की सूची।

2.3 पिछले 5 वित्तीय वर्षों के भीतर बोलीदाता के पास माल, अधिमानतः पेट्रोलियम उत्पाद/लुब्रिकेंट के परिवहन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए:

क्रम.सं	ग्राहक का नाम	व्यवसाय का वर्ष	तारीख के साथ पीओ संख्या	पीओ/अनुबंध की कीमत /रु. करोड़ में/

- (कम से कम एक पीओ/अनुबंध, न्यूनतम 5 वर्ष पुराने का उल्लेख करें)
- कृपया न्यूनतम 1.0 करोड़ रुपए के एक एकल पीओ/अनुबंध मूल्य का उल्लेख करें

3.0 संगठन का विवरण:

1.भारत में स्थित कार्यालयों/गोदामों की सूची:

क्रम.सं	स्थान	पूरा पता (दूरभाष / फैक्स / ई-मेल सहित)

टिप्पणी: कृपया सूची उपरोक्त प्रारूप में संलग्न करें।

4.0 आयकर और जीएसटी का विवरण:

क्रम सं.	विवरण		टिप्पणियाँ
4.1	आयकर	स्थाई खाता सं.	
4.2	जीएसटी	पंजीकरण सं.	
4.3	ट्रेड लाइसेंस	पंजीकरण सं.	
4.4	ईएसआई पंजीकरण	पंजीकरण सं.	

टिप्पणी: कृपया प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियाँ संलग्न करें।

5.0 कारोबार / बिक्री का विवरण:

(रु. / लाख)

निवल मूल्य (शेयर पूंजी और भंडार)		
कारोबार/बिक्री		
बीटी		

भुगतान किया गया कर		
पीएटी		

टिप्पणी: कृपया उपर्युक्त वर्षों के लिए बैलेंस शीट संलग्न करें।

6.0 बैंकर की जानकारी

6.1 बैंकर का नाम :

6.2 शाखा :

6.3 खाता संख्या और खोलने का वर्ष :

7.0 अन्य सूचना:

7.1 क्या कंपनी बीमार/संभावित रूप से बीमार कंपनी है? : हाँ / नही

7.2 क्या कंपनी को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सरकार द्वारा काली सूची में सूचीबद्ध किया गया है? : हाँ / नही

7.3 क्या कंपनी का बामर लॉरी की किसी अन्य इकाई के साथ कारोबार है? : हाँ / नही

(यदि हाँ, तो विवरण संलग्न करें।)

7.4 क्या कंपनी को बैंक की मंजूरी प्राप्त है : हाँ / नही

(यदि हाँ, तो विवरण संलग्न करें)।

हम प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

तारीख :

स्थान :

संलग्नक:

1) ऊपर उल्लिखित अनुसार सभी दस्तावेजों की प्रतियां।

2) 5, 00,000 रुपए की बयाना राशि पे ऑर्डर/डीडी नं दिनांक।

बैंक पर आहरित.....

3) सभी अनुबंधों के साथ निविदा दस्तावेज की एक प्रति विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मुहरबंद की जाएगी और निविदा की सभी शर्तों की स्वीकृति के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

अन्य संलग्नक (कृपया सूची दें)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

संदर्भ : निविदा संख्या: जीएलके/ टीई20 /088, दिनांकित 02.09.2020

ऑनलाइन बोली के सामान्य नियम और शर्तें

1.0 सामान्य शर्तें

- 1.1 बोलीदाता ऑनलाइन बोली में और बीएल द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर उनके द्वारा दर्ज मूल्य पर उत्पाद/सेवा (जिसके लिए बोली है) की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। दर्ज किए गए सभी मूल्य कानूनी रूप से बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होंगे। बोली लगाने के समय बोली लगाने वालों को दृढ़ता से अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन बोली के दौरान लगाई गई बोलियों को पूरा करने में विफलता बोलीदाताओं को बीएल या इसके ई-बिडिंग एजेंट द्वारा निर्धारित की गई किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाएगी।
- 1.2 बोली लगाने की घटना में आवंटन जीतने की स्थिति में, बोलीदाता अनुबंध के अंतर्गत उल्लिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होगा।
- 1.3 बोलीदाता बीएल द्वारा निर्दिष्ट शर्तों पर बोली लगाएगा और ऑनलाइन बोली में हमारे ई-बिडिंग एजेंट द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अपनी बोली लगाएगा। जब तक ग्राहक की शर्तें (बीएल के नियम और शर्तों में) बोलीदाता द्वारा निर्धारित शर्तों को स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं देती, तब तक

बोलीदाता अपनी तरफ से किसी भी शर्त को निर्धारित नहीं करेगा। संलग्न शर्तों के साथ दर्ज की गई बोली को सशर्त बोली माना जाएगा और ई-बिडिंग एजेंट बीएल को सूचित किए बिना भी इन बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

- 1.4 बीएल या इसके ई-बिडिंग एजेंट हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/अवसंरचनात्मक सुविधाओं या किसी भी अन्य कमियों से उत्पन्न किसी भी समस्या के कारण ऑनलाइन बोली प्रक्रिया को स्थगित करने या ऑनलाइन बोली की कार्यवाही को स्थगित/रद्द करने में किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

2.0 बीएल के अधिकार

बीएल बिना कोई कारण बताए ऑनलाइन बिडिंग इवेंट में लगाई गई किसी भी/सभी बोलियों को आंशिक या पूरी तरह से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। बीएल आवश्यकता को एक से अधिक बोली लगाने वालों में आवंटित करने या एक या अधिक बोली लगाने वालों के बीच आवश्यकताओं को समेकित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है।

3.0 मुख्य शब्दों की परिभाषा

3.1 ऑनलाइन बिडिंग इवेंट / विपरीत नीलामी

ऑनलाइन बिडिंग/निगोशिएशन इवेंट (विपरीत नीलामी/कोटेशन के लिए खुला अनुरोध/मुहरबंद बोली) का अर्थ बोलीदाताओं (एक या एक से अधिक स्थानों से) के साथ इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली उन वार्ताओं से है, जो ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए चुनी जाती हैं।

दूसरे शब्दों में, ऑनलाइन बोली का स्थान इंटरनेट वेबसाइट/प्लेटफॉर्म पर है। ई-बिडिंग एजेंट द्वारा सौंपा गया कोई अन्य यूआरएल ऑनलाइन बोली घटना के उद्देश्य से स्थल होगा।

3.2 ऑन-लाइन बोली का समय

ऑनलाइन बोली के सभी समय, बोली/नीलामी इंजन की मेजबानी करने वाले सर्वर द्वारा इंगित समय पर आधारित होंगे। ई-बिडिंग एजेंट यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सर्वर समय जितना संभव हो सके, भारतीय मानक समय (भामास) यानि जीएमटी + 05.30 बजे, को दर्शाता है। हालाँकि, सर्वर समय और भारतीय मानक समय के बीच किसी भी विचलन की स्थिति में, बिड/नीलामी इंजन (लॉन्च, ऑपरेशन, क्लोजर) के कामकाज को सर्वर टाइम द्वारा निर्देशित किया जाएगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सटीक सर्वर टाइम (दोनों विंडो में प्रदर्शित) की जाँच करने के लिए ऑनलाइन बोली की दोनों खिड़कियों को पुनः आयोजित करें।

3.3 पूर्वावलोकन समय और प्रारंभ समय

पूर्वावलोकन समय, समय की उस अवधि को संदर्भित करता है जो बोली शुरू होने से पहले प्रदान की जाती है। यह अनुमोदित प्रतिभागियों को मर्दों के विवरण और बोली के नियमों जैसे विवरण देखने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन बिडिंग तंत्र की कार्यक्षमता और स्क्रीन से प्रतिभागियों को परिचित करना भी है। ई-बिडिंग एजेंट के लिए पूर्वावलोकन समय प्रदान करना अनिवार्य नहीं है।

प्रारंभ समय ऑनलाइन बोली का संचालन प्रारंभ होने के समय को संदर्भित करता है। यह प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मूल्य खोज प्रक्रिया के प्रारंभ होने का संकेत देता है।

3.4 ऑन-लाइन बोली समय का स्व विस्तारण

निर्धारित बोली समय के अंतिम कुछ मिनटों में बोलियां प्राप्त की स्थिति में, बोली समय स्वचालित रूप से ऐसी प्रत्येक बोली से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ा दिया जाता है। ऐसे स्व विस्तारण तब तक जारी रहेंगे जब तक निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई बोली नहीं लगाई जाती (इंजन निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है)। स्व विस्तारण उद्देश्य के लिए निष्क्रियता का समय आम तौर पर 7 मिनट है। हालांकि ई-बिडिंग एजेंट के पास समान बदलने का अधिकार है। विशेष ऑनलाइन बोली के लिए लागू निष्क्रियता समय इंजन पर बोली नियम मॉड्यूल के अंतर्गत बोली लगाने वालों को दिखाई देगी।

3.5 ऑन-लाइन बोली कार्यवाही का अंत।

ऑनलाइन बोली प्रक्रिया का अंत मूल्य खोज प्रक्रिया के अंत का संकेत देने वाली ऑनलाइन बोली कार्यवाही की समाप्ति को संदर्भित करता है।

गारंटी का प्रारूप

(जमानत राशि)

बामर लॉरी & कंपनी लिमिटेड

(पता)

प्रिय महाशय,

सर्वश्री/श्री _____ (ठेकेदार का पूरा नाम और पता और गठन लिखें) (इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित) ने आपकी निविदा, निविदा सं. दिनांकित..... (इसके बाद "उक्त निविदा" के रूप में संदर्भित) _____ कार्य के लिए (कार्य का उद्देश्य लिखें) के लिए उनका/अपना/इसका कोटेशन भरा है और उसके अनुसरण ठेकेदार को आपके द्वारा एक आदेश, सं. _____ दिनांकित _____ (इसके बाद "आदेश" के रूप में संदर्भित) जारी किया गया है।

उक्त निविदा की शर्तों में अन्य बातों के साथ, यह आवश्यक है कि ठेकेदार यहाँ उल्लिखित प्रारूप में रु. _____ (_____ रुपए मात्र) की राशि के एक पूर्ण जमानत राशि (इसके बाद "जमानत राशि" के रूप में संदर्भित) का भुगतान करे। अनुसूचित बैंक द्वारा निष्पादित की जाने वाली गारंटी जमानत राशि के भुगतान के रूप में शामिल है।

उक्त सर्वश्री/श्री _____ (ठेकेदार का पूरा नाम लिखें) ने हमसे संपर्क किया है और उन लोगों के/उनके अनुरोध पर और परिसर के विचार से, हम, _____ (बैंक का पूरा नाम लिखें) जिनका कार्यालय, अन्य के साथ _____ (बैंक का पूरा पता लिखें) पर है, ने निम्नलिखित अनुसार गारंटी देने पर सहमति दी है:

1. हम, _____ (बैंक का पूरा नाम लिखें) यह स्वीकार करते हैं और सहमति देते हैं कि अगर सर्वश्री/मि. (ठेकेदार का पूरा नाम लिखें), निविदा और/या आदेश के किसी भी नियम और शर्तों को पूरा करने में या सुरक्षा जमा या किसी अन्य या आपके द्वारा देय धन के भुगतान में चूक जाते हैं, तो हम ... (बैंक का पूरा नाम लिखें) बिना आनाकानी या विरोध के आपके मांग करने पर रु. (रुपए ... केवल) से अधिक नहीं, की उक्त राशि या इसके हिस्से का भुगतान करेंगे जिसे आप समय-समय पर मांग सकते हैं।
2. हम (बैंक का पूरा नाम लिखें), आगे आपसे सहमत हैं कि हमारी सहमति के बिना और हमारे दायित्वों के बिना आपके पास ठेकेदार से अपने बकाए का वसूली के किसी भी तरीके को अपनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होगी, और / या उक्त सर्वश्री/ श्री (ठेकेदार का पूरा नाम लिखें), के साथ आपके अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने या ठेकेदार द्वारा समय-समय पर प्रदर्शन का समय बढ़ाने या किसी भी समय या स्थगित करने के लिए समय-समय पर ठेकेदार द्वारा आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों में से किसी का भी और अनुबंध और हमें..... (बैंक का पूरा नाम सेट करें) ठेके से संबंधित किसी भी नियम और शर्तों को रोकने या लागू करने का ऐसे किसी भी भिन्नता के कारण, या ठेकेदार को आपके द्वारा दिए जाने वाले किसी भी धन या किसी भी ऐसे मामले या बात से हमारे दायित्व से राहत नहीं मिलेगी, जो सुनिश्चितता से संबंधित कानून के तहत लेकिन इस प्रावधान के लिए हमें रिहा करने का प्रभाव रखता हो।

3. आपका हमसे रु. _____ (रुपए _____ केवल) उक्त राशि को वसूलने का अधिकार हमारे द्वारा उपरोक्त तरीके से इस तथ्य के कारण प्रभावित या निलंबित नहीं किया जाएगा कि कोई भी विवाद किसी भी अधिकारी, न्यायाधिकरण, अधिकारियों के किसी अन्य प्राधिकरण के न्यायालय के समक्ष विवादित/ लंबित है।
4. इसके द्वारा दी गई गारंटी निर्धारित संविधान के उल्लंघन या संविधान के विघटन या परिवर्तन से प्रभावित या सर्वश्री/ श्री _____ (ठेकेदारों का पूरा नाम लिखें) के दिवालिये होने से या प्रभावित नहीं होगी, सभी मामलों में, और इसे सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी और कार्यशील होनी चाहिए जब तक कि इस तरह की देनदारियों के संबंध में आपके सभी पैसे का भुगतान नहीं किया जाता है।
5. इस गारंटी के अंतर्गत हमारा दायित्व केवल रु. _____ (रुपए _____ मात्र) तक सीमित होगा।
6. हमारी गारंटी _____ तक (समाप्ति की तारीख लिखें) तब तक लागू रहेगी, और जब तक कि इस दावे के तहत लिखित गारंटी का दावा या मांग हमारे सामने न आए, जब तक कि पूर्वोक्त तारीख से छह महीने की समाप्ति यानी _____ (दावा अवधि की अंतिम तिथि लिखें), तक हमें इस गारंटी के तहत आपके सभी अधिकारों की गारंटी दी जाएगी और हम, _____, (बैंक का पूरा नाम लिखें) को राहत दी जाए और सभी देनदारियों से छुट्टी न दे दी जाए।

7. हम, _____ (बैंक का पूरा नाम लिखें) लिखित रूप में आपकी पिछली सहमति के अलावा इस समय के दौरान इस गारंटी को रद्द नहीं करने का वचन देते हैं।
8. हम, _____, (बैंक का पूरा नाम लिखें) हमारे ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख के अंतर्गत आपके पक्ष में इस गारंटी को जारी करने की शक्ति रखते हैं और अधोहस्ताक्षरी को अटार्नी की शक्ति से दो हजार बीस के _____ दिन बैंक द्वारा दी गई इस गारंटी को निष्पादित / हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है।

आपका आभारी,

दिनांक:

_____ (स्थान)

_____ (दिनांक)

(के लिए अधिकारी का नाम)

(बैंक का नाम लिखें)

अखंडता समझौता

अनुलग्नक - VI

बामर लॉरी & कंपनी लिमिटेड (बीएल), इसके बाद "प्रथम पक्ष"(प्रिंसिपल) के रूप में संदर्भित किया गया है।

और

_____ , इसके बाद "बोलीदाता / ठेकेदार" के रूप में संदर्भित किया गया है।

प्रस्तावना

प्रथम पक्ष संगठनात्मक प्रक्रियाओं, अनुबंध के अंतर्गत के लिए ठेका सौंपने का इरादा रखता है

प्रथम पक्ष अपने बोलीदाता(ओं) या ठेकेदार(रों) के साथ संबंधों में देश के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और निष्पक्षता/पारदर्शिता के साथ पूर्ण अनुपालन करने को महत्व देता है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रथम पक्ष एक स्वतंत्र बाहरी पर्यवेक्षक (आईईएम) की नियुक्ति करेगा, जो निविदा प्रक्रिया और उपरोक्त सिद्धांतों के अनुपालन के लिए अनुबंध के निष्पादन की निगरानी करेगा।

अनुभाग 1- प्रथम पक्ष की प्रतिबद्धता

1. प्रथम पक्ष खुद को भ्रष्टाचार को रोकने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए

तैयार है: -

क. प्रथम पक्ष का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, किसी अनुबंध या निविदा के निष्पादन के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी सामग्री या सारयुक्त लाभ की मांग या स्वीकार करने या स्वीकार करने का वादा नहीं करेगा जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

ख. प्रथम पक्ष, निविदा प्रक्रिया के दौरान समानता और उद्देश्य के साथ सभी बोलीदाता(ओं) से व्यवहार करेगा। निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान प्रथम पक्ष विशेष रूप से, सभी बोलीदाता(ओं) को एक ही जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता(ओं) को गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा, जिसके माध्यम से बोलीदाता(ओं) निविदा प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में एक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ग. प्रथम पक्ष सभी ज्ञात पूर्वाग्रही व्यक्तियों को प्रक्रिया से बाहर कर देगा।

2. यदि प्रथम पक्ष अपने किसी भी कर्मचारी के आचरण के बारे में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त करता है जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक अपराध है, या यदि इस संबंध में कोई संदिग्ध संदेह है, तो प्रथम पक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई की पहल कर सकता है।

खंड 2- बोलीदाता/ठेकेदार की प्रतिबद्धताएं

1. बोलीदाता (ओं)/ठेकेदार (ओं) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। वह निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के दौरान और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है।

क. बोलीदाता/ठेकेदार, निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी तरह के किसी भी लाभ के बदले में प्राप्त करने के लिए सामग्री या अन्य लाभ के लिए जिसका वह/वे कानूनी रूप से हकदार नहीं हैं, निविदा प्रक्रिया में शामिल प्रथम पक्ष के कर्मचारियों या अनुबंध के निष्पादन या किसी तीसरे व्यक्ति को सीधे या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई, प्रस्ताव, वादे या लाभ नहीं देंगे।

ख. बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) अन्य बोलीदाताओं के साथ किसी भी गुप्त समझौते या समझ में प्रवेश नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, बोलियों को प्रस्तुत करने या गैर-प्रस्तुत करने या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कटौती लागू करने के किसी भी अन्य कार्य पर लागू होता है।

ग. संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत बोलीदाता/ठेकेदार कोई अपराध नहीं करेंगे; आगे बोलीदाता/ठेकेदार प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए, या दूसरों को पास करने के लिए, व्यावसायिक संबंधों के भाग के रूप में प्रथम पक्ष द्वारा

प्रदान की गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज, योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरण के बारे में अनुचित उपयोग नहीं करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से शामिल या प्रसारित जानकारी शामिल है।

घ. विदेशी मूल के बोलीदाता/ठेकेदार, भारत में रह रहे अपने एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करेंगे, यदि कोई हो। इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रियता के बोलीदाता/ठेकेदार विदेशी पक्षों का नाम और पता प्रस्तुत करेंगे, यदि कोई हो। बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों के दिशानिर्देश" में उल्लिखित आगे के विवरण का खुलासा किया जाएगा। इसके अलावा, जैसा कि दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि को सभी भुगतान केवल भारतीय रुपए में होगा। "विदेशी आपूर्तिकर्ता के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश" की प्रतिलिपि अनुलग्नक - ए के रूप में चिह्नित की गई है और संलग्न है।

ड. बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अपने द्वारा किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करना होगा, जो अनुबंध सौंपने के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य बिचौलियों को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. बोलीदाता (ओं)/ठेकेदार (ओं) को तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने या ऐसे अपराधों में सहायक होने के लिए प्रेरित नहीं करेगा।

खंड 3: निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता और भविष्य के अनुबंध से बहिष्करण

यदि सौंपे जाने से पहले या निष्पादन के दौरान बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार (ओं) ने धारा 2, उपरोक्त या किसी अन्य रूप में उल्लंघन के माध्यम से एक अपराध किया है जिससे उसकी विश्वसनीयता या अखंडता पर सवाल उठता है, तो प्रथम पक्ष निविदा प्रक्रिया से ऐसे बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार को अयोग्य घोषित करने या "ब्लैकलिस्टिंग पर बामर लॉरी पॉलिसी" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने का हकदार है।"बामर लॉरी

पॉलिसी ऑन ब्लैकलिस्टिंग" की प्रतिलिपि अनुलग्नक - बी के रूप में चिह्नित और संलग्न है।

खंड 4: क्षति के लिए मुआवजा

- क) यदि प्रथम पक्ष ने धारा 3 के अनुसार आदेश सौंपने से पहले बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया है, तो प्रथम पक्ष बयाना राशि/बोली सुरक्षा के बराबर हर्जाना मांगने और वसूलने का हकदार है।
- ख) यदि प्रथम पक्ष ने धारा 3 के अनुसार अनुबंध समाप्त कर दिया है, या यदि प्रथम पक्ष धारा 3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त करने का हकदार है, तो प्रथम पक्ष ठेकेदार से अनुबंध के मूल्य या प्रदर्शन बैंक गारंटी राशि के बराबर हर्जाना मांगने और वसूली के लिए हकदार होगा।

खंड 5: पिछला संक्रमण

- क. बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ या भारत में किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ ऐसा कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जो भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के अनुरूप है और जो निविदा प्रक्रिया से उसके बहिष्कार को सही ठहरा सकता है।
- ख. यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या "ब्लैकलिस्टिंग पर बामर लॉरी पॉलिसी" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

खंड 6: सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों से समान व्यवहार

- क. सभी बोलीदाता/ठेकेदार उप-ठेकेदारों से इस वफादारी समझौता के अनुरूप प्रतिबद्धता की माँग करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे प्रथम पक्ष को सौंपने का वचन देते हैं।
- ख . प्रथम पक्ष समान शर्तों के साथ सभी बोलीदाताओं, ठेकेदारों और उपठेकेदारों के साथ एक समझौते में प्रवेश करेंगे।

ग. प्रथम पक्ष निविदा प्रक्रिया से उन सभी बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित करेगा जो इस समझौता पर हस्ताक्षर नहीं करते या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

खंड 7: उल्लंघन करने वाले बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक आरोप

यदि प्रथम पक्ष एक बोलीदाता, ठेकेदार या उप-ठेकेदार, या एक बोलीदाता, ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि के सहयोगी के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त करता है, जो भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि प्रथम पक्ष को इस संबंध में संदेह है, तो प्रथम पक्ष इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को देगा।

खंड 8: स्वतंत्र बाहरी पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षकों

- (क) प्रथम पक्ष इस समझौता के लिए सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। पर्यवेक्षक का कार्य स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना है, कि पक्ष इस समझौते के अंतर्गत दायित्वों का किस हद तक पालन करते हैं।
- (ख) पर्यवेक्षक पक्षों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं है और अपने कार्यों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करता है। वह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बीएल को रिपोर्ट करता है।
- (ग) बोलीदाता/ठेकेदार स्वीकार करता है कि पर्यवेक्षक को ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए सहित प्रमुख पक्ष के सभी परियोजनाओं के प्रलेखन का किसी प्रतिबंध के बिना उपयोग करने का अधिकार है। ठेकेदार पर्यवेक्षक के अनुरोध पर और अपने परियोजना दस्तावेज के लिए एक वैध हित, अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच देगा। पर्यवेक्षक गोपनीयता के साथ बोलीदाता/ठेकेदार/उप-ठेकेदार की जानकारी और दस्तावेजों के व्यवहार के लिए संविदात्मक दायित्व के अंतर्गत है।

- (घ) प्रमुख पक्ष परियोजना से संबंधित दलों के बीच सभी बैठकों के बारे में पर्यवेक्षक को पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते ऐसी बैठकें पर्यवेक्षक और ठेकेदार के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव डाल सकती हैं। पक्ष पर्यवेक्षक को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प देने की पेशकश करते हैं।
- (ङ) इस समझौते का कोई उल्लंघन पर्यवेक्षक के ध्यान में आने पर, या उसे यह विश्वास होने पर कि कोई उल्लंघन हो रहा है, वह प्रमुख पक्ष के प्रबंधन को सूचित करेगा और प्रबंधन से अनुरोध करेगा कि वह सुधारात्मक या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करे। पर्यवेक्षक इस संबंध में गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, पर्यवेक्षक को पक्षों से यह मांग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे एक विशिष्ट तरीके से कार्य कर, कार्रवाई से बचें या कार्रवाई को बर्दाश्त करें।
- (च) पर्यवेक्षक सीएमडी, बीएल को संदर्भ की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या प्रमुख पक्ष को सूचित किया जाएगा, कि समस्याग्रस्त स्थितियों को सुधारने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।
- (छ) पर्यवेक्षक बीएल बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए/प्रदान किए जाने वाले समान शर्तों पर मुआवजे का हकदार होगा।
- (ज) यदि पर्यवेक्षक ने सीएमडी, बीएल को सूचित किया है, कि उसे संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत अपराध का संदेह है, और सीएमडी, बीएल ने ऐसे अपराध के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए उचित कार्रवाई नहीं की है या मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी है। पर्यवेक्षक इस सूचना को सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी प्रेषित कर सकते हैं।
- (झ) 'पर्यवेक्षक' शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

खंड 9 - समझौते की अवधि

यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर किए जाने पर शुरू होता है। यह अनुबंध के अंतर्गत अंतिम भुगतान के 10 महीने बाद, और अनुबंध सौंपे जाने के 6 महीने बाद अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए समाप्त हो जाता है।

टिप्पणी: (अवधि को इकाई की आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है)

यदि इस दौरान कोई दावा किया जाता है/सूचित किया जाता है, तो यह बाध्यकारी होगा और ऊपर बताए अनुसार इस समझौता के चूक के बावजूद मान्य रहेगा, जब तक कि इसे सीएमडी, बीएल द्वारा खारिज/निर्धारित नहीं किया जाता है।

खंड 10 - अन्य प्रावधान

- क) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। प्रदर्शन और क्षेत्राधिकार का स्थान प्रमुख का पंजीकृत कार्यालय, अर्थात् कोलकाता है ।
- ख) परिवर्तन और पूरकों के साथ-साथ समाप्ति नोटिस लिखित रूप में दिया जाना आवश्यकता है। पारिर्वक अनुबंध नहीं किए गए हैं।
- ग) यदि ठेकेदार एक साझेदारी या संघ है, तो इस समझौते पर सभी साझेदारों या संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- घ) क्या इस समझौते के एक या कई प्रावधान अमान्य होने पर भी, इस समझौते के शेष प्रावधान वैध रहते हैं। इस मामले में, पक्ष अपने मूल इरादों के लिए एक समझौते पर आने का प्रयास करेंगे।

(प्रथम पक्ष के लिए & की ओर से)

(कार्यालय की मुहर)

स्थान -----

तारीख -----

(बोलीदाता / ठेकेदार के लिए और उपठेकेदार की ओर से)

(कार्यालय की मुहर)

साक्षी 1:

(नाम और पता)

साक्षी 2:

(नाम और पता)

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों के लिए दिशानिर्देश

- 1.0 सभी वैश्विक (खुली) निविदा और सीमित निविदा के लिए एजेंटों का पंजीकृत होना अनिवार्य है। जो एजेंट बीएल के साथ पंजीकृत नहीं है, वह निर्धारित पंजीकरण फॉर्म में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।
 - 1.1 पंजीकृत एजेंट, बीएल द्वारा आदेश जारी करने से पहले प्रथम पक्ष के नोटरी पब्लिक/मूल प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत प्रमाणित एजेंसी के समझौते की पुष्टि करने वाले और एजेंट और कमीशन/पारिश्रमिक/अनुरक्षण को एजेंट द्वारा भुगतान किए जाने की स्थिति की पुष्टि करने की एक प्रमाणित फोटोकॉपी जमा करेंगे।
 - 1.2 जहां भी भारतीय प्रतिनिधियों ने अपने प्रमुख की ओर से संचार किया है और विदेशी पक्षों ने कहा है कि वे भारतीय एजेंटों को कोई कमीशन नहीं दे रहे हैं, और भारतीय प्रतिनिधि वेतन के आधार पर या रिटेनर के रूप में काम कर रहे हैं, आदेश को अंतिम रूप देने से पहले प्रथम पक्ष द्वारा इस आशय की लिखित घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 2.0 भारत में स्थित एजेंट/प्रतिनिधियों का विवरण का खुलासा, यदि कोई हो।
 - 2.1 विदेशी राष्ट्रीयता के निविदाकर्ता अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे:

2.1.1 भारत में स्थित एजेंटों/प्रतिनिधियों का नाम और पता, यदि कोई हो, और प्रथम पक्ष को प्रतिबद्ध करने के लिए दिए गए प्राधिकरण और अधिकार की सीमा। यदि एजेंट/प्रतिनिधि एक विदेशी कंपनी है, तो इसकी पुष्टि की जाएगी कि क्या यह वास्तविक कंपनी है और उसी का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

2.1.2 भारत में ऐसे एजेंटों/प्रतिनिधियों के लिए उद्धृत मूल्य में शामिल कमीशन/पारिश्रमिक की राशि।

2.1.3 निविदादाता की पुष्टि कि भारत में उसके एजेंटों/प्रतिनिधियों को देय कमीशन/पारिश्रमिक यदि कोई हो, तो बीएल द्वारा उसका भारतीय रूप में भुगतान किया जा सकता है।

2.2 भारतीय राष्ट्रीयता के निविदाकर्ता अपने प्रस्तावों में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे:

2.2.1 विदेशी प्रमुख का नाम और पता, यदि कोई है, तो उनकी राष्ट्रीयता के साथ-साथ उनकी स्थिति का संकेत देता है, अर्थात्, निर्माता या निर्माता पक्ष के प्राधिकार कि निर्माता एजेंट को भारत में निविदाओं में सीधे या एजेंटों/प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्ताव करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत करते हैं।

2.2.2 निविदाकर्ता द्वारा स्वयं के लिए उद्धृत मूल्य (यों) में शामिल कमीशन/पारिश्रमिक की राशि।

- 2.2.3 निविदाकर्ता के विदेशी प्रमुख की पुष्टि पर कि कमीशन/पारिश्रमिक, यदि कोई हो, जो उद्धृत मूल्य (यों) में निविदाकर्ता के लिए आरक्षित है, तो परियोजना की संतोषजनक पूर्ति और भंडारों की आपूर्ति और संचालन मद के मामले में आपूर्ति पर भारत में बीएल द्वारा समतुल्य भारतीय रुपए का भुगतान किया जा सकता है।
- 2.3 किसी भी स्थिति में, अनुबंध के लागू होने की स्थिति में, यदि कोई हो, भुगतान की प्रलिखित शर्तों के अनुसार दायित्वों के निर्वहन के बाद 90 दिनों की समाप्ति पर भारतीय रुपए में भारत में स्थित एजेंटों/प्रतिनिधियों को देय कमीशन/पारिश्रमिक के भुगतान के लिए प्रावधान किया जाएगा ।
- 2.4 जैसा कि ऊपर के अनुच्छेद 2.0 में कहा गया है, सही और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता, निविदा की संबंधित अस्वीकृति के लिए या एक अनुबंध सौंप दिए जाने पर बीएल द्वारा उसकी समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, बीएल के साथ व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने या एक नामित राशि के जुर्माने का भी भुगतान करना होगा।

* * * * *

***यदि भाषा में कोई विचलन होता है, तो अंग्रेजी भाग को अंतिम माना जाएगा।**